RAM LAL ANAND COLLEGE
श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्
1964
UNIVERSITY OF DELHI

सम्भव

जनवरी-जून 2025

हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, राम लाल आनंद महाविद्यालय

अमरगाथा

अनुक्रमणिका

शिक्षा जो देश को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करे : राकेश कुमार 1

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विशेष

समाज की दिशा तय करती है शिक्षा नीति : समीर सिंह 2
नई शिक्षा नीति : पुनर्निर्माण की दिशा में कदम : शिवांश सक्सेना 4
शिक्षा को व्यावहारिक बनाना जरूरी : आलोक 6
एक राष्ट्र-एक परीक्षा की पहल : प्रियांशु कुमार 9
भारतीय भाषाओं के नए आयाम : आयुष प्रजापति 11
कला और संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास : श्वेता सिंह 13
चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे विद्यार्थी : सोनिका 15
स्टार्टअप और नवाचार को प्राथमिकता : युमना 17
विद्यार्थियों को खुलकर पढ़ने की आजादी : अंशिका वर्मा 18
डिजिटल माध्यमों की अहम भूमिका : उत्कर्ष कुमार 19
व्यावसायिक दक्षता और उद्यमिता को बढ़ावा : योगेश प्रताप यादव 21
व्यावसायिक शिक्षा से आत्मनिर्भर बनेगा भारत : शाम्भवी 23
विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान : दिव्या 24
शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण पर जोर : खुशी वशिष्ठ 25
शिक्षा के भविष्य की परिकल्पना : प्रियंका 26
एनईपी के मॉडल पर काम कर रहा आरएएलएसी : आयुष प्रजापति 28

● शाम्भवी

यह कहानियां हैं दहाड़ों की
उन चीखती ललकारों की
समर भूमि के मध्य में
डटकर किए गए प्रहारों की
यह कहानी है जवानों की
उम्मीद की अरमानों की
युद्ध के हवन में
दिए गए बलिदानों की
लोंगेवाला के रण बांकुरों की
सियाचिन के निडर बहादुरों की
कारगिल के विक्रम की
साहस के पराक्रम की
बालाकोट विजेताओं की
निर्भीक नेतृत्वकर्ताओं की
शौर्य व वीरता से परिपूर्ण
1971 के विजेताओं की
सिख रेजिमेंट से सरदारों की पगड़ी की
गोरखाओं की खुखरी की
जाटों की दहाड़ की
भवानी सिंह की तलवार की
शैतान सिंह के खंजर की
योगेंद्र और जोगिंदर की
नेत्रों में धधकते शोलों की
तोपों से बरसते गोलों की
जयघोषों और जयकारों की
आतंकियों के नरसंहारों की
युद्ध की पुकार की
प्राणघाती प्रहार की
दुश्मन से लोहा लेने की
आगे बढ़ खुद की बलि देने की
यह कथा है परमार्थ की
जांबाजों के चरितार्थ की
साहस की परिभाषा की
देश पर मिटने की अभिलाषा की
उस मां की पुकार की
उस अंगना के श्रृंगार की
दर्द की चीत्कार की
अलगाव की इंतजार की
यह कहानियां अधिकारी हैं
अमरत्व के सत्कार की
यह कहानियां गवाह हैं
भारतीय सेना के लहू में बहती अंगार की।

सम्भव

वर्ष : 19 अंक : 1

पूर्णांक–26

जनवरी–जून 2025

अप्रैल 2025 में प्रकाशित

●●●

संरक्षक मंडल

प्राचार्य

प्रो. राकेश कुमार गुप्ता

प्रभारी

प्रो. राकेश कुमार

●●●

संपादक मंडल

संपादक

प्रो. राकेश कुमार

डॉ. अटल तिवारी

छात्र संपादक

संजीव राज

●●●

उप–संपादक

आस्था त्रिपाठी

जया सिंह

●●●

कवर फोटो

आयुष प्रजापति

●●●

संपादकीय पता :

हिंदी, हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग

राम लाल आनंद महाविद्यालय,

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

बेनितो जुआरेज मार्ग, नई दिल्ली–110021

दूरभाष: 011–24112557

ईमेल : sambhavrla@gmail.com

●●●

स्वामी-प्रकाशक-मुद्रक

प्रो. राकेश कुमार गुप्ता

द्वारा बेनितो जुआरेज मार्ग

नई दिल्ली–110021 से प्रकाशित

और **यशस्वी प्रिंटर्स,** जी–2/122,

द्वितीय तल, सेक्टर–16,

दिल्ली–110089 से मुद्रित

●●●

'सम्भव' में प्रकाशित रचनाओं के विचार लेखकों के अपने हैं, उनसे संपादक मंडल का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

संपादकीय

शिक्षा जो देश को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करे

इतिहास साक्षी है कि हर युग में शिक्षा ही वह शक्ति रही है, जिसने समाज को गति दी है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया है, समाज को बेहतर और राष्ट्र को समृद्धि प्रदान की है। विशेषत: समाज के हाशिये पर धकेल दिए गए वर्गों के लिए तो शिक्षा ही उनके वर्तमान को संवारती है और मजबूत भविष्य का आधार बनती है। वास्तव में अच्छी शिक्षा न केवल वर्तमान को संवारती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की नींव को भी मजबूत करती है। इसका प्रमाण यह है कि शिक्षा के जरिये ही आजादी के बाद स्त्रियों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों और पिछड़ों ने देश के लोकतंत्र में भागीदारी प्राप्त की है। कोठारी आयोग में कहा गया था कि भारत का भविष्य उसके विद्यालयों की कक्षाओं में आकार ले रहा है। चूंकि भारत सांस्कृतिक विविधताओं का ही नहीं अपितु सामाजिक विविधताओं का देश है, इसलिए आज़ादी के बाद यह अनुभव किया जाने लगा कि यदि भारत को एकता के सूत्र में और समग्र विकास के पथ पर आगे लेकर जाना है तो देश के लिए एक शिक्षा नीति बनानी होगी। इसी मूल भावना को ध्यान में रख कर वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। वैसे 'सम्भव' पत्रिका के प्रत्येक अंक में हमारा यह प्रयास रहता है कि हमारे समय के महत्वपूर्ण विषयों पर विद्यार्थियों को सोचने–विचारने और रचने का अवसर मिले। इसी कड़ी में यह विशेषांक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित यह विशेषांक, विशेष इसलिए है क्योंकि इसे विद्यार्थियों ने तैयार किया है उन विद्यार्थियों ने, जिनका भविष्य इस नीति से गहराई से जुड़ा हुआ है।

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखती है। यह नीति ज्ञान, कौशल संवर्धन के साथ–साथ भारत के सकारात्मक मूल्यों और आदर्शों के संतुलन की बात करती है। प्रत्येक प्रांत की मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, विषयों में लचीलापन, कौशल विकास और डिजिटल लर्निंग जैसे अनेक पहलू इस नीति को आधुनिक और समावेशी बनाते हैं। तमाम उत्साह के साथ–साथ यह बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि प्रत्येक नई नीति, नई चुनौतियां भी लेकर आती है, इसलिए हमें सावधान और सजग रहना होगा।

आज जब दुनिया भर में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं तो यह लाजिमी ही है कि देश के युवाओं को इसके लिए तैयार रहना होगा। हमारे लिए यह हर्ष का विषय है कि इस अंक में हमारे विद्यार्थियों ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन किया है। इस अंक के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति केवल सरकार की योजना मात्र नहीं है, अपितु यह विद्यार्थियों का सपना और शिक्षकों की जिम्मेदारी भी है। यदि हम सब मिलकर इसे ज़मीनी स्तर तक पहुंचाएं तो यह केवल शिक्षा सुधार नहीं, भारत के भविष्य के पुनर्निर्माण का आधार बन सकती है।

मैं इस अंक के सभी छात्र रचनाकारों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इसे न केवल जानकारीपूर्ण, बल्कि विचारोत्तेजक और प्रेरणादायक भी बनाया। साथ ही, सम्भव के मार्गदर्शक डॉ. अटल तिवारी जी को विशेष धन्यवाद, जो निरंतर इस नई सोच को आकार देने का काम कर रहे हैं।

प्रो. राकेश कुमार

संयोजक, हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार

समाज की दिशा तय करती है शिक्षा नीति

• **समीर सिंह**

क्या आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में गिना जाता है, एक समय में 10 हजार से अधिक छात्रों और दो हजार शिक्षकों का केंद्र था? तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए विभिन्न देशों से विद्यार्थी आते थे?

भारत में शिक्षा की जड़ें इतनी गहरी थीं कि इसे पूरे विश्व में ज्ञान का केंद्र माना जाता था, लेकिन समय के साथ विदेशी आक्रमणों, औपनिवेशिक शासन और बदलती आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शिक्षा नीति को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस लेख में हम भारत की शिक्षा नीति के क्रमिक विकास की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि कैसे हर नीति ने देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को प्रभावित किया।

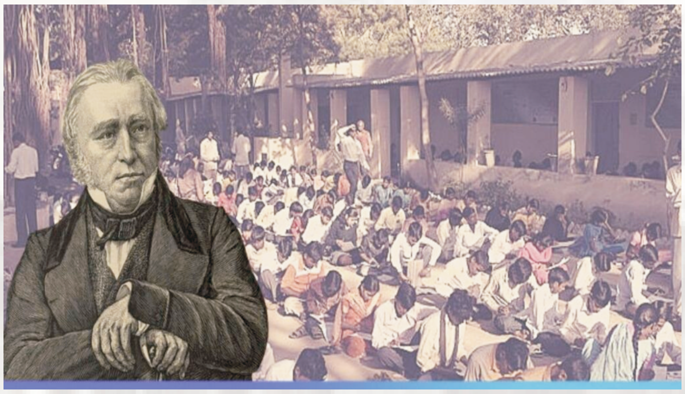

प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं था बल्कि यह नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक ज्ञान पर आधारित थी। गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में रहकर वेद, उपनिषद, खगोलशास्त्र, गणित, शस्त्र विद्या और राजनीति का अध्ययन करते थे। इस प्रणाली की विशेषता यह थी कि शिक्षा केवल संपन्न वर्ग तक सीमित नहीं थी बल्कि योग्य छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था। बौद्ध और जैन शिक्षण संस्थानों ने इस परंपरा को और समृद्ध किया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के केंद्र बने, जहां भारत ही नहीं बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया और मध्य एशिया से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे।

मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल शासन का प्रभाव बढ़ा तब शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन हुआ। इस्लामिक मदरसों में कुरान, अरबी, फारसी, गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। हालांकि इस काल में भी भारत में पारंपरिक शिक्षा पद्धतियां जारी रहीं, लेकिन वे अपेक्षाकृत सीमित हो गईं।

अंग्रेजों ने भारत में जो शिक्षा प्रणाली लागू की, उसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए एक ऐसा वर्ग तैयार करना था, जो ब्रिटिश सरकार के हितों को आगे बढ़ा सके। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय भाषाओं को शिक्षा के लिए अनुपयोगी बताते हुए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की। इसके परिणाम स्वरूप पारंपरिक शिक्षा संस्थान धीरे-धीरे समाप्त होने लगे और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का प्रभाव बढ़ने लगा। 1854 में वुड डिस्पैच के माध्यम से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। इसके तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जो आगे चलकर भारत में उच्च शिक्षा के केंद्र बने। हालांकि इस शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यह थी कि यह केवल अभिजात्य वर्ग तक सीमित थी और आम जनता तक इसकी पहुंच नहीं थी। महात्मा गांधी ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा था, 'ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने हमें केवल क्लर्क और नौकरशाह बनाने का कार्य किया है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भर और सशक्त नागरिक तैयार करना होना चाहिए।'

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती

थी–एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार करना, जो सभी नागरिकों के लिए सुलभ, समान और आधुनिक हो। इस दिशा में पहला बड़ा प्रयास 1948 में हुआ, जब डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने उच्च शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाने और अनुसंधान को बढ़ावा देने की सिफारिश की। 1952 में मुदालियर आयोग का गठन किया गया, जिसने माध्यमिक शिक्षा में सुधार की सिफारिशें दीं। लेकिन भारत को एक समग्र शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, जिसे 1968 में पहली बार लागू किया गया। 1968 की शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की पहली व्यापक शिक्षा नीति थी, जिसे डॉ. डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। इस नीति के तहत 1023 प्रणाली को अपनाया गया और विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। इस नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सर्व शिक्षा था, जिससे हर वर्ग तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस नीति की घोषणा करते हुए कहा था, 'भारत का भविष्य उसकी शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। हमें शिक्षा को केवल कुछ विशेष वर्गों तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराना चाहिए।' यह नीति अच्छी थी, लेकिन इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता बनी रही और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कमजोर बना रहा। 1986 में भारत ने अपनी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया, जिसमें शिक्षा को अधिक समावेशी और व्यावसायिक बनाया गया। इस नीति में महिलाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। इसी दौरान सर्व शिक्षा अभियान की नींव रखी गई, जिसने प्राथमिक शिक्षा को एक जन आंदोलन का रूप दिया। इस नीति के दौरान निजीकरण को भी बढ़ावा दिया गया, जिससे निजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। हालांकि इससे शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या भी उत्पन्न हुई।

21वीं सदी में शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। यह कदम भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम ने इस संदर्भ में कहा था, 'शिक्षा किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हम प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें तो भारत एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बन सकता है।'

2020 में भारत ने एक नई शिक्षा नीति को अपनाया, जो पिछली नीतियों की तुलना में अधिक आधुनिक और व्यापक थी। इस नीति में 102 प्रणाली को समाप्त कर 5334 प्रणाली को लागू किया गया, जिससे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को अधिक महत्व मिला। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया, जिससे विद्यार्थियों को अधिक लचीलापन मिला। इस नीति में मातृभाषा में शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, व्यावसायिक शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीति पर कहा था, 'यह नीति भारत को 21वीं सदी में ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।' भारत की शिक्षा नीति समय के साथ विकसित होती रही है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता, डिजिटल शिक्षा की पहुंच और उच्च शिक्षा में समानता लाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। शिक्षा नीतियां केवल दस्तावेज नहीं होतीं बल्कि वे समाज की दिशा और दशा तय करती हैं। यदि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है तो शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ही एकमात्र रास्ता है।

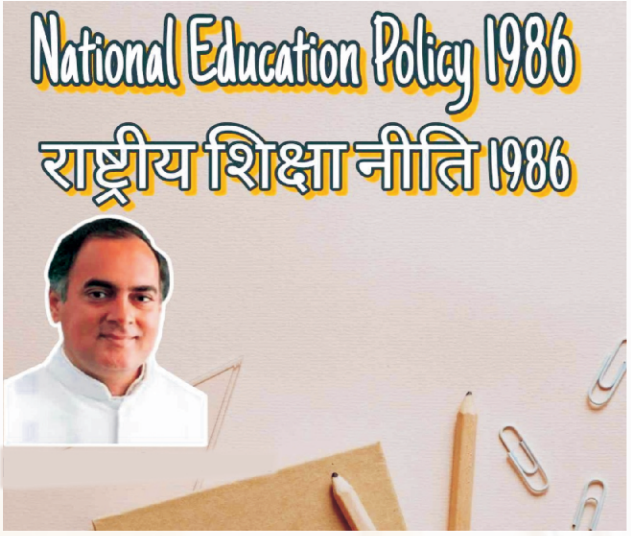

नई शिक्षा नीति : पुनर्निर्माण की दिशा में कदम

• शिवांश सक्सेना

भारत प्राचीन संस्कृति का देश है। यहां ज्ञान अलग-अलग विधाओं और रूपों में समाहित रहा है। भारत की धरती पर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से सम्मिलित श्रीमद्भगवतगीता ने आकार लिया, जहां वेद, उपनिषदों एवं पुराणों से अनेक तरह के सवालों के जवाब मिले। यह वह भारत है जो हमेशा समृद्धि की ओर बढ़ता रहा है। भारत की संस्कृति और ज्ञान के साक्ष्य हजारों वर्ष पुराने माने जाते हैं। माना यह भी जाता है कि भारत की संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। भारत ने वेद, पुराणों आदि के साथ भाषा, विज्ञान, कला, धर्म और प्रौद्योगिकी में भी खुद को पारंगत किया है जो उसके इतिहास एवं साक्ष्यों में दिखाई पड़ता है। ज्ञान का इतना समृद्ध सागर होने के बावजूद इन विचारों को सही तरीके से न तो भारत में चल रही शिक्षा प्रणाली में जगह मिली और न ही इस ज्ञान को विदेशों तक पहुंचाया गया। फलस्वरूप यह ज्ञान और इसके अपेक्षित सभी संस्कार कमजोर होते चले गए।

अंग्रेजी शासन में बनी शिक्षा प्रणाली का ध्यान भारत की स्वदेशी शिक्षा एवं ज्ञान के विपरीत पश्चिमी संस्कृति और ज्ञान पर आधारित बनाया गया, जिसमें थॉमस मैकाले का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि अगर भारत पर सही से राज करना है और यहां की संस्कृति पर कब्जा करना है तो यहां की भाषा और ज्ञान को लोगों तक पहुंचने से रोकने की जरूरत है। इसी कारण उन्हें जब 1834 में भारत बुलाया गया और गवर्नर जनरल का पद थमाया गया। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए अपनी एक नई शिक्षा प्रणाली बनाई। इस नीति में मुख्य जोर भारत की शिक्षा, ज्ञान, संस्कार और कथाओं के उलट अपनी संस्कृति, ज्ञान और संस्कारों पर रहा। परिणाम स्वरूप सबसे पहले संस्कृत भाषा को भारत की आम बोल चाल से हटाया गया और धीरे-धीरे यह भाषा पठन से भी कमजोर होने लगी। मैकाले की नीति के ही तहत भारत में कॉन्वेंट स्कूल बनाए गए और अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया गया। आजादी के बाद भी यही नीति भारत में अग्रसर रही और अंग्रेजी हमारी आम कार्य भाषा से लेकर अब बोलचाल की भाषा बनने लगी। वर्ष 2020 में जब भारत ने नई शिक्षा प्रणाली को लागू किया तो इस बात का ध्यान रखा कि उसकी पौराणिक संस्कृति और ज्ञान हर भारतीय तक पहुंचे।

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत भारतीय ज्ञान प्रणाली का निर्माण किया गया है। यह समृद्ध और विविधता से भरपूर ज्ञान का संग्रह है, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक की भारतीय परंपरा को प्रोत्साहित करेगा। यह प्रणाली शैक्षणिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे-दर्शन, विज्ञान, कला और संस्कृति का समावेश किया गया है। इस नीति के तहत व्यक्तियों में अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी अहम है। भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्रमुख हिस्सा वेद, उपनिषद और पुराण हैं, जो न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं बल्कि मानवता के लिए ज्ञान के अद्भुत स्रोत भी माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, योग और नृत्य जैसे प्राचीन भारतीय विज्ञान भी इस प्रणाली का अभिन्न हिस्सा हैं। यह प्रणाली न केवल ज्ञान का संचय करती है बल्कि इसका आत्मसात कर लेना और

मानवता के उत्थान के लिए उपयोग करना भी इसकी प्रमुख बात है। भारतीय ज्ञान प्रणाली का लक्ष्य न केवल व्यक्तिगत विकास है बल्कि समाज और विश्व के लिए भी सकारात्मक योगदान प्रदान करना है। नई नीति में हर महाविद्यालय में एक भारतीय ज्ञान परम्परा की समिति बनाने का प्रस्ताव है। दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया, वहां हर महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए समिति बनी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में भारत की संस्कृति, ज्ञान एवं परम्पराओं के लिए ऐसे कार्यक्रम कराना है, जो इस ज्ञान को बढ़ावा दें।

नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली में एक नई शुरुआत थी, जहां एक ओर पूरा विश्व कोविड महामारी से परेशान था वहीं उसी वर्ष भारत ने इस नीति को अपनाया। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के नाम से इसे देश भर में लागू करने का प्रस्ताव रखा। 1986 के बाद पहली बार था जब भारत में नई शिक्षा नीति को अपनाया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक उपयोगी एवं भारत के विचारों से जोड़ने का है। इसके तहत विद्यार्थियों की सोचने की क्षमता और उनके कौशल को कैसे देश के विकास में लगाया जाए इस पर अधिाक जोर है, जिन्हें सॉफ्ट स्किल्स भी कहा जाता है। इसमें सांस्कृतिक जागरुकता, एकाग्रता, टीम वर्क, नेतृत्व कौशल और शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने आदि पर विशेष ध्यान रखा गया है। यह स्कूली शिक्षा में सभी स्तरों पर सुधार का मौका प्रदान करने के लिए गठित की गई है। इसमें पुरानी नीति के अंतर्गत चल रहे 102 के विपरीत एक नया मॉडल है, जिसमें 5334 का डिजाइन बनाया गया है। इस नीति में शिक्षा प्रणाली को 12वीं तक की स्कूली पढ़ाई को चार भागों में विभाजित किया गया है। इन चरणों में आधारभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और सबसे महत्वपूर्ण द्वितीय चरण हैं, जिसमें नौवीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को एक भाग में रखा गया है। इसमें अब बच्चों को द्वितीय चरण यानी चार वर्षों की पढ़ाई में अपने मनपसंद करियर के लिए सही निर्णय व पाठ्यक्रम को चुनने का मौका मिलेगा। इस नीति के निर्माताओं का मानना है कि इससे बच्चों की शिक्षा में सर्वव्यापी ज्ञान की वृद्धि होगी जो अपने चुने हुए विषय में बेहतर पढ़ाई और आगे चलकर अवसरों को भी प्रदान करेगा। इस नीति में स्थानीय एवं क्षेत्रीय भाषा पर भी जोर दिया गया है। इसमें हिंदी भी शामिल है। यह भी सोचा गया है कि हर विषय में पाठ्क्रम का निर्माण ऐसा रखा जाए जिससे बच्चों में चर्चा, विश्लेषण आधारित पढ़ाई कराई जाए। महाविद्यालय वर्गों में एक नया प्रावधान शामिल किया गया है, जिसके तहत विद्यार्थियों को तीन वर्षों की स्नातक डिग्री के बाद एक वर्ष अतिरिक्त पढ़ाई करने एवं अपने विषय में शोध करने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थी अगर चाहें तो तीन वर्ष की डिग्री के बाद एक वर्ष और पढ़ाई कर शोध कर सकते हैं। इसमें स्नातक के साथ एक वर्ष की रिसर्च डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रणाली विदेशों से काफी हद तक मेल खाती है, जहां स्नातक को चार वर्षों तक पढ़ाई करनी होती है। इस नीति से उन विद्यार्थियों को लाभ होगा जिन्हें शोध के विषय में विदेश से पढ़ाई करनी है एवं किसी परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना है। जिन विद्यार्थियों को मात्र तीन वर्षों की पढ़ाई कर स्नातक पूर्ण करना है, वह तीन वर्षों में डिग्री लेकर पढ़ाई छोड़ सकते हैं। हालांकि यह अभी सभी विश्वविद्यालयों में लागू नहीं हुआ है। इसका कारण अभी कुछ जगहों पर संशोधन की जरूरत है। कुल मिलाकर इसकी नींव अच्छी है जो यह सुनिश्चित करती है कि अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो यह एक अच्छा विकल्प है। भारत की शिक्षा प्रणाली को सही बनाने, उसके जरिए विद्यार्थियों में अपने विषय के प्रति चर्चा एवं शोध की दिलचस्पी जगाना इसमें शामिल है। यह नई नीति भारत के पुराने खोए ज्ञान के भंडार को उजागर करने का एक बेहतर विकल्प है।

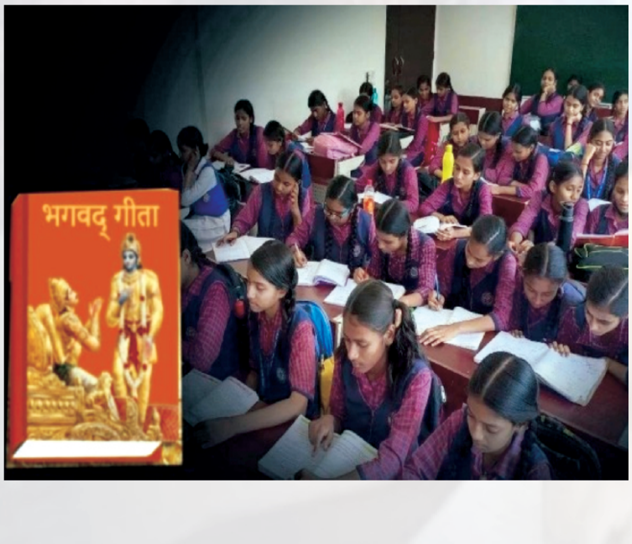

शिक्षा को व्यावहारिक बनाना जरूरी

● **आलोक**

परिवर्तन संसार का अपरिहार्य नियम है और जब कोई समाज या व्यक्ति विकास करना चाहता है तो उसे अपने पारंपरिक ढर्रे में बदलाव लाना आवश्यक होता है। युवाल नोआ हरारी अपनी पुस्तक सेपियंस में बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सामूहिक सहयोग की क्षमता है, जो संज्ञानात्मक क्रांति के कारण विकसित हुई। यही विशेषता उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है और उसके समाज के निर्माण में सहायक होती है। इस मानसिक विकास को दिशा देने और प्रशिक्षित करने के लिए औपचारिक शिक्षा प्रणाली अस्तित्व में आई, जो समाज की प्रगति और सकारात्मक परिवर्तन का मूल आधार बनी। इसलिए किसी भी विकसित समाज में शिक्षा न केवल ज्ञान का स्रोत होती है बल्कि वही समाज को दिशा देने और आगे बढ़ाने का कार्य करती है।

जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तब देश की साक्षरता दर मात्र 12 प्रतिशत थी। उस समय भारत के नेताओं ने यह समझा कि एक सशक्त और आधुनिक भारत की नींव बिना एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली के नहीं रखी जा सकती। उस दौर में भारतीय औपचारिक शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से मैकाले द्वारा तैयार किए गए ढांचे पर आधारित थी और आज की शिक्षा प्रणाली उसी की परिणति है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद सरकारों ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। देश भर में नए स्कूलों की स्थापना की गई। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी और एम्स जैसे संस्थान स्थापित किए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना की गई, जिससे उच्च शिक्षा प्रणाली को एक सुसंगठित रूप मिला।

1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, जिसका उद्देश्य देश में शिक्षा को अधिक सुलभ और संगठित बनाना था। इस नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और नि:शुल्क बनाने का प्रावधान किया गया, ताकि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके। माध्यमिक और उच्च शिक्षा को विस्तार देने के लिए कई संस्थानों की स्थापना की गई। व्यावसायिक शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया गया, जिससे युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा मिल सके। शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्व दिया गया ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। विद्यालयी शिक्षा में 1023 प्रणाली लागू की गई। उसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को एक स्पष्ट ढांचा मिला। इस नीति में त्रिभाषा सूत्र को भी अपनाया गया, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाना अनिवार्य किया गया। ऐसा करके भाषायी विविधता को प्रोत्साहित किया जा सके। इस नीति के तहत पूरे देश में एक समान विद्यालयी शिक्षा संरचना को स्थापित किया गया और उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार हुआ। हालांकि इसके बावजूद कई चुनौतियां बनी रहीं, जैसे–सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त नहीं हो सका। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता बनी रही। समाज के हाशिए पर मौजूद तबकों में स्कूल छोड़ने की दर अधिक बनी रही।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए 1986 में राजीव गांधी सरकार ने दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसे 1992 में नरसिम्हा राव सरकार ने संशोधित किया। इस नीति

का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना था, जिससे 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल भेजा जा सके। इसके अलावा बच्चों के विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना चलाई गई, जिससे सरकारी विद्यालयों की संरचनात्मक स्थिति में सुधार हो सके। इस नीति में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और पारंपरिक डिग्री को रोजगार से अलग करने का भी प्रयास किया गया ताकि विद्यार्थी केवल डिग्री पर निर्भर न रहें और व्यावहारिक कौशल प्राप्त कर सकें। इस नीति में हाशिए पर मौजूद समुदायों, विशेष रूप से लड़कियों और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता दी गई। शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम स्वरूप विद्यालयों में नामांकन दर में वृद्धि हुई। व्यावसायिक शिक्षा को महत्व मिला। दूरस्थ क्षेत्रों में शैक्षिक आधारभूत संरचना का विस्तार हुआ।

आजादी के बाद किए गए इन प्रयासों के बावजूद शिक्षा में कुछ समस्याएं बनी रहीं। समाज के सभी वर्गों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा प्रदान करना चुनौती साबित हुआ। विशेष रूप से 1986 की शिक्षा नीति के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कई समस्याएं सामने आईं। इस नीति ने शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा दिया। देश के कई पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी शिक्षा प्रणाली धीरे-धीरे समाप्त होने लगी। उसकी जगह निजी संस्थानों ने ले ली। इससे शिक्षा महंगी हो गई और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंचना कठिन हो गया।

शिक्षा प्रणाली में रटने की प्रवृत्ति बनी रही। व्यावसायिक शिक्षा को अपेक्षित महत्व नहीं मिला। इससे भारत हर वर्ष दुनिया में सबसे अधिक इंजीनियरिंग स्नातक तैयार करने के बावजूद कुशल और रोजगार योग्य इंजीनियरों की कमी से जूझता रहा। 2019 में एस्पायरिंग माइंड्स की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के लगभग 80 प्रतिशत इंजीनियर रोजगार

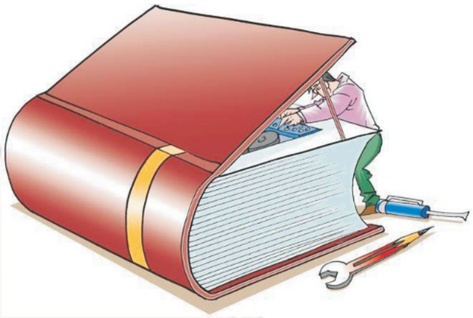

योग्य नहीं हैं। उनके पास व्यावहारिक कौशल की कमी है। इसके अलावा हाशिए पर मौजूद वर्गों में स्कूल छोड़ने की समस्या बनी रही, जिससे शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका।

21वीं सदी में संचार क्रांति के कारण शिक्षा प्रणाली को नए बदलावों से तालमेल बिठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पारंपरिक पाठ्यक्रम रोजगार की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। डिजिटल शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का अभाव बना रहा। इन सभी चुनौतियों के समाधान के लिए एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी, जो 2020 में नई शिक्षा नीति के रूप में सामने आई।

इन सभी समस्याओं का समाधान निकालने के उद्देश्य से 2017 में कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 को तैयार किया गया। यह नीति शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। अधिक रोजगार उन्मुख एवं अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर बल देती है। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना है।

सबसे पहले विद्यालयी शिक्षा संरचना में बदलाव किया गया। इसमें बच्चों के प्रारंभिक विकास को ध्यान में रखते हुए बदलाव किया गया है, जिससे वे समग्र रूप से सीख सकें। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित किया गया, जिससे 3-6 वर्ष के बच्चों को स्कूल से पहले उचित बौद्धिक और सामाजिक विकास का अवसर मिल सके।

लचीले पाठ्यक्रम एवं बहु विषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इसमें विद्यार्थियों को परंपरागत विज्ञान, कला और वाणिज्य धाराओं की कठोरता से मुक्त होकर विभिन्न विषयों के चयन की स्वतंत्रता मिल सके। इस नीति के तहत समग्र

एवं कौशल आधारित अधिगम को भी प्राथमिकता मिली, जिसमें तार्किक सोच, कोडिंग, इंटर्नशिप और व्यावसायिक प्रशिक्षण को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया। साथ ही मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें पांचवीं तक क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। उच्च शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए। कॉलेज स्तर पर बहु निकास विकल्प की व्यवस्था लागू की गई, जिससे विद्यार्थी एक वर्ष के बाद डिप्लोमा, दो वर्ष के बाद एसोसिएट डिग्री और तीन वर्ष में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को 50 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले शोध को समर्थन मिल सके।

शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रणाली को सशक्त बनाया गया, जिसमें शिक्षक पात्रता मानदंड को कठोर बनाया गया। डिजिटल प्रशिक्षण को अनिवार्य किया गया। तकनीकी एकीकरण और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देते हुए ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा, स्वयं और स्वयंप्रभा का विस्तार किया गया। डिजिटल विभाजन को दूर करने के लिए रेडियो, टेलीविजन और सामुदायिक शिक्षा केंद्रों का उपयोग करने पर जोर दिया गया। इसमें दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में भी शिक्षा सुगम हो सकेगी।

यह नीति शिक्षा को अधिक समावेशी और व्यावहारिक बनाने की दिशा में है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती है। इसके तहत शिक्षा प्रणाली को भविष्य के कौशल के अनुरूप ढालने का प्रयास किया गया है, जिससे भारत ज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कर सके। इसके लिए आधुनिक कौशल और नवाचार आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। रोजगार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और आलोचनात्मक चिंतन को शिक्षण पद्धति का अभिन्न हिस्सा बनाया गया। जिससे विद्यार्थी केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित न रहें बल्कि उनमें व्यावहारिक और व्यावसायिक कौशल भी विकसित हो।

समावेशिता और सुगमता को बढ़ावा देने के लिए शहरी और ग्रामीण, सरकारी और निजी तथा डिजिटल शिक्षा तक पहुंच में मौजूद असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करने के लिए उच्च शिक्षा में बहु विषयक अध्ययन और शोध कार्यों को अधिक प्रोत्साहित किया गया, जिससे भारत वैश्विक अनुसंधान और नवाचार के केंद्र के रूप में उभर सके। सतत विकास को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी, संतुलित और आजीवन सीखने की अवधारणा को प्राथमिकता दी है। इस तरह यह नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक अहम बदलाव का संकेत देती है। यह नीति भारत को ज्ञान और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे देश का भविष्य अधिक उज्ज्वल और प्रगतिशील हो सके।

25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था 'संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो यह बुरा साबित होगा। संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे हैं तो यह अच्छा साबित होगा।' यही बात इस नीति पर भी लागू होती है। किसी भी नीति का प्रभाव केवल उसके सिद्धांतों और दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी वास्तविक परीक्षा उसके कार्यान्वयन में होती है। चाहे कोई नीति कितनी भी सुविचारित और व्यापक क्यों न हो, यदि उसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो सकती है। इसीलिए इसकी सफलता का निर्धारण केवल इसके उद्देश्यों और प्रस्तावित सुधारों से नहीं होगा बल्कि इस बात से होगा कि इसे जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है।

एक राष्ट्र-एक परीक्षा की पहल

• **प्रियांशु कुमार**

18वीं सदी के महान दार्शनिक जीन–जैक्स रूसो का मानना था कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से सहज, सरल और योग्य ही पैदा होता है। किंतु जब वह संस्कृति के प्रभाव में आता है तो बंधनों से ग्रसित हो जाता है। सारी योग्यता होने के बावजूद भी वह अपने जीवन को सही मायनों में सार्थक नहीं बना पाता। उनका मानना था कि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य अपने स्वधर्म को पहचाने। यही कारण है कि जब विद्यार्थियों को एक जटिल शिक्षा प्रणाली में जकड़ दिया जाता है तो उनके स्वधर्म का विस्तार नहीं हुआ और न ही उनकी वास्तविक क्षमता का उपयुक्त इस्तेमाल हो पाया। रूसो के ये विचार आज भी प्रासंगिक दिखाई देते हैं। इसकी वजह है कि आज भी कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था के नाम पर केवल परीक्षा व्यवस्था का संचालन हो रहा है। वैसे नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से विद्यार्थियों की इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया गया है। इस नीति के अनुसार विद्यार्थियों को अब बार–बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि पूरे देश के लिए एक संगठित व्यवस्था का विकास किया जाएगा। एक राष्ट्र–एक परीक्षा एक ऐसी नीति है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एक समान परीक्षा प्रणाली लागू करना है ताकि शिक्षा में समानता, पारदर्शिता और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

एक राष्ट्र–एक परीक्षा के आयाम : देश भर की परीक्षाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहली–10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। दूसरी–विभिन्न संस्थानों की प्रवेश परीक्षा और तीसरी–अन्य सरकारी प्रतियोगी परीक्षा। एक राष्ट्र–एक परीक्षा की नीति से खास तौर पर विभिन्न संस्थानों की प्रवेश परीक्षा को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में इसे सरकारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी लागू किया जाएगा।

सीयूईटी, जेईई और नीट का विलय : यूजीसी एक राष्ट्र–एक परीक्षा के विचार पर काम कर रही है। इसके साथ कई तार्किक बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। इस व्यवस्था के अनुसार आवश्यकता के आधार पर विद्यार्थी एक ही प्रवेश परीक्षा से उन विषयों का संयोजन चुन सकते हैं, जो उनके पसंद के संस्थान में दाखिले के लिए आवश्यक हों। एक परीक्षा से विद्यार्थी आईआईटी और एम्स जैसे तकनीकी, मेडिकल व विश्वविद्यालयों में दाखिला ले पाएंगे।

यूजीसी और एआईसीटीई का विलय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी

शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) का विलय भारत में उच्च शिक्षा विनियमन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक प्रयास है। वर्तमान में यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों को नियंत्रित करती है। फंड देती है, जो शैक्षणिक मानकों, मान्यता और अनुसंधान को सुनिश्चित करता है। एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा की देखरेख करती है। पाठ्यक्रम के दिशा-निर्देशों की स्थापना करती है। नए संस्थानों को मंजूरी देती है। इंजीनियरिंग, प्रबंधन और फार्मेसी कॉलेजों में गुणवत्ता बनाए रखती है। दोनों का उद्देश्य देश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

इस नीति की आवश्यकता : विद्यार्थियों में अनावश्यक दबाव को कम करना। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 6113 विद्यार्थियों ने परीक्षा के दबाव में अपनी जान दे दी, जो उस साल आत्महत्या का 7.6 प्रतिशत है। इस नई नीति से विद्यार्थियों को बेहतर मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा सकती है।

शैक्षिक असमानता को दूर करना : वर्तमान समय में अलग-अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं के स्तर में काफी अंतर है। इससे विद्यार्थियों के प्रदर्शन में असमानता आ जाती है। एक समान परीक्षा प्रणाली होने से इस अंतर को दूर किया जा सकता है।

प्रतिस्पर्धा में समान अवसर : विभिन्न राज्यों के पाठ्यक्रम में भिन्नता होने के कारण राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कुछ विद्यार्थियों को फायदा होता है और कुछ को नुकसान उठाना पड़ता है। एक राष्ट्र-एक परीक्षा से सभी को समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा।

प्रवेश प्रक्रिया में सरलता : अलग-अलग राज्यों और विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं में विविधता के कारण विद्यार्थियों को कई परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है। एकल परीक्षा के साथ विभिन्न स्कूल और कॉलेज समान मानकों का पालन कर सकेंगे। सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकेंगे।

संसाधनों की बचत : एक ही परीक्षा होने से प्रशासनिक खर्च, समय और श्रम की बचत होगी। इससे शिक्षा प्रणाली को अधिक संगठित और प्रभावी बनाया जा सकेगा। यह प्रणाली अतिरिक्त कोचिंग की आवश्यकता को भी कम करती है। विद्यार्थियों को संस्मरण के बजाय वास्तविक सीखने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है।

चुनौतियां : विभिन्न शिक्षा बोर्ड अलग-अलग पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। इससे सभी के लिए एक निष्पक्ष परीक्षा बनाना कठिन हो जाता है। गांवों और शहरों के स्कूलों में समान संसाधन नहीं हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की समान गुणवत्ता नहीं मिलती है। शिक्षा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए राज्य सरकारें इस प्रणाली का विरोध कर सकती हैं। इसका कारण उनके अपने परीक्षा के नियम हैं। पिछले साल नीट यूजी को लेकर हुए विवाद और सीयूईटी में आई तकनीकी समस्याओं (कम्प्यूटर का न चलना, इंटरनेट की समस्या आदि) को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि एक राष्ट्रव्यापी परीक्षा को निष्पक्ष रूप से कराना बड़ी चुनौती है। इसके लिए एक महती योजना की आवश्यकता है।

निष्कर्ष : एक राष्ट्र-एक परीक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली में समानता, पारदर्शिता और दक्षता लाने की दिशा में अहम कदम है। यह विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग परीक्षाओं के बोझ को कम करती है। वे तनाव मुक्त होकर अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्षेत्रीय और आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगी। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में कमी आएगी। विद्यार्थियों को वास्तविक ज्ञान अर्जित करने और रटने की प्रवृत्ति से बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करेगी। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सही योजना और प्रभावी कार्यान्वयन से यह नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकती है।

भारतीय भाषाओं के नए आयाम

• **आयुष प्रजापति**

भारत में 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद सबसे पहले उसके सम्यक मूल्यांकन की चुनौती है। इस शिक्षा नीति में जो अंतिम बात है वह हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं की जानकारी और प्रवीणता को भी रोजगार की योग्यता में जोड़ा गया है। यदि यही मुद्दा ठीक से लागू किया जाए तो भारतीय भाषाएं लहलहा उठेंगी। बहरहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा की केंद्रीयता को इस बात से समझा जा सकता है कि 108 पृष्ठ के इस प्रारूप में 206 बार भाषा शब्द का जिक्र हुआ है। 126 बार बहुवचन के रूप में और 80 बार एकवचन के रूप में। यहां बहुवचन रूप के आधिक्य का होना, किसी एक भाषा और संस्कृति की बात न करके सभी भाषाओं पर केंद्रित बहुलता पर जोर देना है। यदि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर देखें तो विगत 30-40 वर्षों में प्रायः बड़ी भाषाओं के बोलने वालों की संख्या कम हुई है। देश और उस क्षेत्र की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में यह उचित है कि आठवीं अनुसूची सहित सभी भाषाओं में शिक्षण एवं अध्ययन को भाषाओं के रूप में विकसित किए जाने के प्रावधान इस शिक्षा नीति में दिखते हैं। इसमें उच्च गुणवत्ता की मुद्रण-सामग्री के निर्माण के साथ पाठ्य-पुस्तकें, वीडियो निर्माण, नाटक, कहानी, कविताएं, कोश, उपन्यास, पत्रिकाएं, वेब सामग्री आदि के सृजन एवं प्रसार पर जोर दिया गया है। इसके अलावा शब्द संपदा को निरंतर ताजा करने और उनके प्रसार का प्रस्ताव है ताकि हमारी भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियाई और जापानी भाषाओं के समक्ष खड़ी हो सकें। इसके साथ ही मातृभाषा या प्रथम भाषा में न्यूनतम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। बच्चों में समझ विकसित करने एवं आगे की शिक्षा के लिए क्षमता का निर्माण करने की बात तो निहायत सराहनीय है। शिक्षा-मनोविज्ञान और भाषायी संवर्धन की दृष्टि से मातृभाषा या प्रथम भाषा में न्यूनतम कक्षा पांच तक की पढ़ाई का भी प्रस्ताव साल 2030 तक करने का लक्ष्य है। समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना जैसे लक्ष्य पाने के लिए ऐसे प्रस्ताव अहम हो सकते हैं, पर चुनौतियां बहुत हैं। छात्र-शिक्षक का अनुपात, ढांचागत सुविधाएं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल के मैदान आदि की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। वहीं शिक्षकों के प्रबंधकीय कौशल का बड़ा हिस्सा मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था में चला जाता है। अभी एक स्थिति ऐसी भी आएगी, जिसमें मातृभाषा के चिन्हांकन के प्रश्नों से प्रशासन को गुजरना पड़ेगा। एक बहुभाषिक कक्षा का प्रबंधन करना जरूरी है। सघन बहुभाषिकता वाले अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड जैसे राज्यों में किसी प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में मातृभाषा में शिक्षण निसंदेह बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में भाषा शिक्षकों का समूह तैयार किए जाने पर जोर दिया जाना भी महत्वपूर्ण है। बचपन से बच्चों में कला, साहित्य, संगीत, शिल्प आदि का विकास करना भी शामिल है। आगे के अध्ययनों, अनुवाद और निर्वचन, संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व, कला संरक्षण, ग्राफिक डिजाइन और वेब डिजाइन में उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम

के विकास के साथ विद्यार्थियों में रचनात्मक क्षमता का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव अच्छा है। इनको सीधे रोजगार से जोड़े जाने की भी बात है। इससे न सिर्फ स्थानीय संस्कृति, ज्ञान एवं भाषाओं का विकास होगा बल्कि रोजगार के नए क्षेत्र सामने आयेंगे।

नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषिकता को स्थानीय शिक्षा प्रणाली में सहेजने पर जोर दिया गया है। इस क्रम में मानव एवं तकनीक का समुचित उपयोग हो। सभी भाषाओं और उनसे जुड़ी कला एवं संस्कृति को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संरक्षित किया जाए। इसमें वीडियो निर्माण, कोश, कहानी, लोक संगीत, नृत्य आदि को बढ़ावा दिया जाए। इस क्रम में कृत्रिम मेधा के साथ सभी भारतीय भाषाओं के जोड़ने का प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है। एक तरफ शास्त्रीय भाषाओं तमिल (2004), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगु (2008), मलयालम (2013), एवं उड़िया (2014) से जुड़ी संस्थाओं के अकादमिक महत्व को देखते हुए उनको विभिन्न विश्वविद्यालयों से जोड़ने का सुझाव है। दूसरी ओर पाली, प्राकृत एवं फारसी भाषाओं के लिए नए संस्थान बनाने पर जोर दिया गया है ताकि देश के कला इतिहास और परंपरा आदि पर बेहतर शिक्षण और शोध हो सके। इसमें अनुवाद के नाम पर एक अलग से संस्थान बनाने की पेशकश है। यह निश्चित रूप से भारतीय बहुभाषिकता एवं इनमें निहित ज्ञान को सामने लाने का बेहतर प्रयास हो सकता है। इसमें अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं के साथ भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में भी अनुवाद की सुविधा हो। इसके साथ भारतीय भाषाओं से भारतीय भाषाओं में भी व्यापक अनुवाद की पहल हो। इन सभी के मध्य सुदूर जनजातीय भाषाओं में निहित ज्ञान परंपरा को किसी भी रूप में कम नहीं समझा जाना चाहिए। इन्हें राष्ट्रीय फलक पर भी स्थान दिया जाना चाहिए।

देश में भाषाओं के कई स्तर हैं। इसमें राजभाषा, शास्त्रीय भाषा, आठवीं अनुसूची की भाषा जैसी कोटियां अब तक अपना स्थान बना सकी हैं, पर संकटग्रस्त भाषा पर एक नीतिगत दस्तावेज पहली बार सामने आया है। इसमें यूनेस्को द्वारा घोषित 197 भाषाओं की चर्चा के साथ लिपिहीन और संकटग्रस्त भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धान की चिंता दिखती है। यूनेस्को की सूची से इतर देखें तो भाषायी संकटग्रस्तता एक अवस्था है, जो भारतीय बहुभाषिकता की अधिक्रमिकता में अधिक स्पष्ट दिखती है। ऐसा नहीं है कि भाषायी संकटग्रस्तता का दबाव सिर्फ सुदूर की जनजातीय भाषाओं पर है बल्कि यह थोड़ा बहुत सभी भारतीय भाषाओं पर है। इसमें आठवीं अनुसूची की भाषाएं तो हैं। वे भाषाएं भी हैं, जिसे शास्त्रीयता का दर्जा मिल चुका है।

भारत एक बहुभाषिक देश है। इस बहुभाषिकता से न्याय करना इस नीति का एक उचित प्रस्ताव दिखता है। अब देखना है कि नई शिक्षा नीति में इसका अमल किस रूप में होता है। इनमें से कुछ नीतियां जैसे मातृभाषा पर जोर देना, त्रिभाषा सूत्र आदि पहले से भी सामने थी, पर उनके अनुपालन का कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ। कई बार भाषायी संस्थान उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं या दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व के अभाव में यथास्थितिवाद के शिकार हो जाते हैं। निहित लक्ष्य की दिशा से विपरीत चलने लगते हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति की परीक्षा यह होगी कि क्या अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा?

कला और संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास

• श्वेता सिंह

भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। यहां कला, साहित्य, परंपरा और त्योहार का बोलबाला है। इस सांस्कृतिक विरासत को भविष्य में संजोए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रसार को प्राथमिकता दी गई है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा एक मौलिक जरूरत है, वैसे ही एक देश के संपूर्ण विकास में उसकी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखना जरूरी हो जाता है। शिक्षा के साथ कला को साथ लेकर आगे बढ़ना एक विद्यार्थी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी संस्कृति को फैलाने के लिए कला एक माध्यम बनती है। यह न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाती है बल्कि व्यक्तियों में संज्ञानात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं को भी बढ़ावा देती है। भारत में शिक्षा के सभी स्तर पर विद्यार्थियों में कला को भी समान रूप से बढ़ावा देना अहम हो गया है। इस प्रकार कला और संस्कृति का महत्व न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान के लिए है बल्कि व्यक्तिगत विकास और समृद्धि के लिए भी है।

नई शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं और भाषाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह नीति भारत को मजबूत गौरवशाली और आत्मनिर्भर देश बनाने में भूमिका निभाएगी। इस नीति को बनाने के लिए देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक और 650 जिलों से लोगों के विचार लिए गए। शिक्षाविदों, अध्यापकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और विद्यार्थियों से सुझाव लिए गए। उन पर मंथन किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना और विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा जन आकांक्षाओं और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप की गई है। भाषा, कला और संस्कृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। विभिन्न भाषाएं दुनिया को अलग-अलग तरीकों से देखती हैं, इसलिए किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को उस भाषा की संरचना के आधार पर समझता है। संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है। साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्म आदि के रूप में कला का वर्णन करना बिना भाषा के संभव नहीं है। संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमें अपनी भाषाओं का व्यापक रूप से उपयोग करना चाहिए। भाषाओं को बातचीत और शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग में लाना चाहिए। भारतीय भाषा, साहित्य, कला, संगीत, दर्शनशास्त्र आदि के लिए देश भर में नए विभाग और कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसमें चार साल की बीएड डिग्री सहित डिग्री कोर्स भी शामिल होंगे। यह कदम विभिन्न विषयों के लेखन के लिए शिक्षकों को तैयार करने में मदद करेगा। साथ ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। स्थानीय संगीत, कला, भाषा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों और हस्तशिल्प में कुशल व्यक्तियों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को वहां की संस्कृति और स्थानीय ज्ञान को समझने का अवसर मिलेगा।

हर स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान में कलाकारों के रहने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को कला,

सृजनात्मकता और क्षेत्र की समृद्धि को बेहतर रूप से जानने का मौका मिले। विद्यार्थियों को संस्कृति और परंपरा के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। भारतीय भाषा, स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इसमें भाषाओं से जुड़ी समृद्ध स्थानीय कला और संस्कृति को विकीपीडिया के माध्यम से दस्तावेजी किया जाएगा। इस प्रयास में एनआरएफ की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान जैसे विषयों पर शोध परियोजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म भारतीय भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगा। भारतीय भाषा, कला और संस्कृति का बढ़ना एवं प्रसार तभी संभव है जब उन्हें नियमित तौर पर प्रयोग में लाया जाए एवं शिक्षण अधिगम के लिये प्रयोग किया जाए। स्थानीय शिक्षकों तथा उच्चस्तरीय शिक्षा व्यवस्था के तहत भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु के लोगों के लिये छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी, जिनमें हर भाषा से विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोग शामिल होंगे। भारत इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध होने या उनमें विलय का प्रयास करेगा। इससे एक सुदृढ़ व बहुविषयी कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संकाय काम कर सकें। विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भाषाओं को समर्पित विश्वविद्यालय भी बहुविषयी बनेंगे ताकि उत्कृष्ट भाषायी शिक्षक तैयार हो सकें। यह भी प्रस्तावित है कि भाषाओं के लिए एक नया संस्थान स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर में पाली, फारसी एवं प्राकृत भाषा के लिए नए विभाग स्थापित किए जाएंगे। जिन संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में भारतीय कला व इतिहास का अध्ययन किया जा रहा है वहां भी इसी प्रकार के कदम उठाए जाएंगे।

नई नीति में पांचवीं तक के विद्यार्थियों को मातृभाषा पढ़ाने पर जोर है। यह उससे आगे आठवीं कक्षा तक भी हो सकता है। विदेशी भाषा की पढ़ाई को सेकेंडरी पर रखा गया है। संस्कृति और भाषा के योगदान को देखते हुए संस्कृत को मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसका उद्देश्य संस्कृत को व्यापक रूप से प्रचारित करना और इसके महत्व को सामने लाना है। इस नीति में कहा गया है कि विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का सीधा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के तहत देश के 100 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। इन स्थलों पर विद्यार्थियों को भेजा जाएगा ताकि वे वहां के इतिहास, वैज्ञानिक योगदान, परंपरा, साहित्य और ज्ञान का अध्ययन कर सकें। इससे विद्यार्थियों को भारत की विविध संस्कृति और ज्ञान के बारे में जानने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत की विविध भाषाओं, बोलियों, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जाता है तो भारतीय संस्कृति का और अधिक विस्तार होगा। साथ ही भारत को विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाएगा।

चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे विद्यार्थी

• **सोनिका**

देश की शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए भारत सरकार नई शिक्षा नीति 2020 लेकर आई। इसे 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली में जरूरी बदलाव करने और विद्यार्थियों को विकसित हो रही दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कौशल विकास नई शिक्षा नीति के केंद्रीय विषयों में शामिल है, जिसे व्यक्तिगत विकास, रोजगार और राष्ट्रीय विकास का जरूरी हिस्सा माना जाता है।

नई नीति भारत के शैक्षिक क्षेत्र की कमियों को दूर करने की दिशा में एक कदम है, जो सभी के लिए पहुंच, समावेश और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह एक समग्र विकास वाली शिक्षा रणनीति बनाती है, जो सीखने को कौशल निर्माण के साथ जोड़ती है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि विद्यार्थी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बाहरी दुनिया और व्यावसायिक क्षेत्रों की समझ विकसित कर सकें। इसके मुख्य लक्ष्यों में एक शिक्षा को उद्योग कौशल के साथ जोड़ना है। इस नीति से पता चलता है कि पुरानी शिक्षा प्रणाली सिद्धांतों पर ज्यादा जोर देती थी। मौजूदा समय में वह विद्यार्थियों को श्रम बाजार की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बैठाने में सक्षम नहीं है। इसी बात पर जोर देते हुए नई शिक्षा नीति कौशल विकास को मुख्यधारा में लेकर आई।

भारत की शिक्षा प्रणाली को रटने और किताबी ज्ञान पर ज्यादा ध्यान देने के लिए दोषी ठहराया जाता रहा, जिसकी वजह से सामान्य कौशल किसी भी विद्यार्थी की समझ से परे हो जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के कौशल और उद्योग की जरूरत के बीच एक बड़ी खाई बन गई। इसकी वजह से शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई कि उसे पाटना मुश्किल लगने लगा। तकनीक में आ रहे बदलाव की वजह से यह समस्या और भी बढ़ी है। इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने बीते कुछ सालों से कौशल विकास पर जोर दिया है। सरकार कौशल भारत मिशन 2015 (स्किल इंडिया) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 जैसी पहल कर चुकी है, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए दोनों योजनाओं को नई शिक्षा नीति में जोड़ा गया।

एनईपी का लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो समावेशी और लचीली हो। 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा कर सके। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए नीति कौशल विकास की आवश्यकता पर जोर देती है। यह स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास को शामिल करने का सुझाव देती है। यह उद्योगों और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। जो अलग-अलग क्षेत्रों के साथ साझेदारी के जरिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लॉन्च करती है जो वर्कफोर्स की मांगों को पूरा करते हैं। बाजार की जरूरत के साथ शिक्षा का यह जोड़ इस बात को सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थी उन कौशलों को हासिल करें जो उन्हें बाजार में रोजगार के काबिल बनाए। इसमें विद्यार्थियों को अनुभव देने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की शुरुआत करना शामिल है।

नीति विद्यार्थियों को काम के लिए तैयार करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण (वोकेशनल ट्रेनिंग) के महत्व पर जोर देती है। इसमें स्कूलों और कॉलेजों में व्यावसायिक तकनीक संपन्न कक्षाओं को शामिल करने का पक्ष शामिल है। आने वाला समय और अधिक तकनीक आधारित होने वाला है। इसलिए इसमें आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स और स्वच्छ ऊर्जा (क्लीन एनर्जी) जैसे-आधुनिक क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। यह मानते हुए कि कौशल विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। नीति आजीवन सीखने की अवधारणा को बढ़ावा देती है। लोगों को नौकरी के बाजार में बने रहने के लिए जीवन भर कौशल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

इसी के साथ मल्टी डिसीप्लिनरी शिक्षा का समर्थन करती है। इसमें विद्यार्थी कई विषयों से पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता हासिल करने में मदद करती है। इसमें कक्षा 6 से शुरू होने वाले माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक अध्ययन शुरू करने का सुझाव दिया गया है। ऐसा होने से विद्यार्थियों को कम उम्र में अलग-अलग व्यवसाय और ट्रेंड्स के साथ जोड़ा जा सकेगा। आगे चलकर वे कॅरियर के उचित विकल्प चुन सकेंगे। कौशल विकास पाठ्यक्रम में डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर उसे समूचे देश में पहुंचाने का सुझाव दिया गया। नीति बनाने वालों का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्र और पिछड़े समाज में रहने वाले विद्यार्थियों को तकनीक से जुड़े विद्यार्थियों को बराबर अवसर मिलेगा।

यह नीति शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (टीचर्स ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग) पर बल देती है। नीति के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षक विद्यार्थियों के कौशल विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इन शिक्षकों को नए कौशल के हिसाब से प्रशिक्षित किया जाएगा तो वे विद्यार्थियों का बेहतर मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे। इसी सिलसिले में नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का गठन किया गया है।

इस बात को इस तरह समझा जा सकता है कि जैसे हम सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस अपडेट करते हैं, उसी तरह नौकरी में जाने के लिए हमें कौशल को अपडेट करने की जरूरत है।

कुल मिलाकर नई नीति ने कौशल आधारित शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत की है। इसे प्रभावी तौर पर लागू किया गया तो यह वैश्विक स्तर पर कुशल, लचीला और प्रतिस्पर्धी कार्यबल विकसित कर भारत के भविष्य को बेहतर बना सकेगी। शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास को शामिल कर एनईपी शिक्षा और रोजगार के बीच के बड़े अंतर को हल करेगी। रोजगार क्षमता बढ़ाएगी। युवाओं को तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकेगी। इन बिंदुओं को अपनाने और जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए मजबूत रणनीति की जरूरत है। खासकर ग्रामीण समाज को साथ लेकर चलने के लिए।

स्टार्टअप और नवाचार को प्राथमिकता

● **युमना**

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि 'शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना भी है।' शायद इसी को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। यह नीति स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है। भारत में स्टार्टअप इको सिस्टम पहले से फल-फूल रहा है। नई नीति इसे और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस लेख में हम जानेंगे कि यह नीति किस प्रकार नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करती है।

उद्यमिता को बढ़ावा : विद्यार्थियों को पारंपरिक कॅरिअर विकल्प से परे सोचने और विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करती है। इसमें राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप नीति को लागू किया गया है, जो उच्च संस्थानों में स्टार्टअप संस्कृति को विकसित करता है। शिक्षकों को नवाचार और उद्यमिता सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और कौशल विकास : इसमें लिबरल एजूकेशन मॉडल को अपनाया गया है। इसमें विभिन्न विषयों को एक साथ पढ़ने की स्वतंत्रता है। इंटर्नशिप और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जिससे विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। स्वयं, दीक्षा व ई-विद्या जैसे डिजिटल एजूकेशन प्लेटफार्म विद्यार्थियों को नवाचार और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता कर रहे हैं।

रिसर्च और नवाचार को समर्थन : राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स जैसी पहल स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर रही है। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं विद्यार्थियों को उद्यमिता अपनाने में सहायता कर रही हैं।

डिजिटल और तकनीकी नवाचार : सरकार ने आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल दिया है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल लैब और सिमुलेशन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के तहत स्टार्टअप और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

वित्तीय सहायता और नीति समर्थन : सरकार सिडबी स्टार्टअप फंड और अन्य योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत नए उद्यमियों को लोन प्राप्त करने में सहायता दे रही है। एंजेल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीति बना रही है।

स्टार्टअप इंडिया के अनुसार 2020 के बाद स्टार्टअप की संख्या में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम बन गया है, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप शामिल हैं। एआईसीटीई रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक दो हजार से अधिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उद्यमिता पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं।

इस नीति और स्टार्टअप की चुनौतियों में बुनियादी ढांचे की कमी, छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इनोवेशन हब और रिसोर्सेज की सीमित उपलब्धता शामिल है। शुरुआती स्तर पर फंडिंग और इन्वेस्टमेंट प्राप्त करना कई उद्यमियों के लिए चुनौती भरा है। पारंपरिक कॅरियर विकल्पों पर जोर देने की मानसिकता अभी कायम है। इसलिए स्टार्टअप के लिए कानून और कर प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

निष्कर्ष : देश में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। यह नीति विद्यार्थियों को सिर्फ नौकरी ढूंढने के बजाय रोजगार सृजन के लिए प्रेरित कर रही है। वैसे इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए नीति के कार्यान्वयन में सुधार और सतत समर्थन की आवश्यकता है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए तो भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप और इनोवेशन का केंद्र बन सकता है।

विद्यार्थियों को खुलकर पढ़ने की आजादी

- **अंशिका वर्मा**

शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं है, यह बच्चों को सही मायनों में जिंदगी जीने और समझने का तरीका सिखाती हैं। नई शिक्षा नीति इसी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश है। यह नीति पुराने ढर्रे को छोड़कर पढ़ाई को दिलचस्प, प्रैक्टिकल आधारित और बच्चों के विकास को अनुकूल बनाने पर जोर देती है। इसका सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब पढ़ाई का मतलब रटने से नहीं बल्कि समझने और खुद से सीखने से है। मातृभाषा में पढ़ाई, अपनी पसंद के विषय चुनने की आजादी और सोचने-समझने पर फोकस, यह सब इस बदलाव का हिस्सा है। इसके अलावा पाठ्यक्रम को लचीला बनाकर बच्चों को पसंद और रुचि के मुताबिक विषय चुनने की आजादी देती है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बीच की दीवार तोड़कर बच्चे अब गणित के साथ संगीत या इतिहास जैसे विकल्प चुन सकते हैं। इससे वह ज्यादा उत्साह से सीखेंगे। उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्कूली शिक्षा पर कहना है कि 2004 से 2014 तक स्कूली शिक्षा में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन 2014 से 2024 के बीच कई बदलाव हुए हैं। आगे भी योजना बनाई जा रही है। स्कूली शिक्षा में क्वांटम जम्प हुआ है। उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली, कंप्यूटर, लाइब्रेरी की सुविधा शामिल है।

नई शिक्षा नीति में पहली और दूसरी कक्षा में गणित और मातृभाषा पर, वहीं चौथी और पांचवीं के बच्चों के लेखन पर जोर देने की बात है। पहले पांच फाउंडेशन स्टेज में प्री प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा एक और दो शामिल होंगे। 3 साल की उम्र से बच्चों को बगैर किताबी ज्ञान के खिलौनों, कहानियों, मैजिक, गीत और डांस के जरिए सिखाया जाएगा। एक और दो कक्षा की पढ़ाई एनसीईआरटी के बने पाठ्यक्रम पर होगी। पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा एक से शुरू होते थे, वहीं अब तीन साल के प्री-प्राइमरी से शुरू होंगे। इसके बाद कक्षा 3 से 5 के तीन साल शामिल हैं। तीन में तीन साल का मिडिल स्टेज आएगा यानी कक्षा छह से आठ तक की कक्षाएं। चौथा स्टेज नौवीं से 12वीं तक चार साल का है। पहले 11वीं से विषय चुनने की आजादी थी वहीं अब नौवीं कक्षा से रहेगी। सही समय पर विषय का किया गया चुनाव विद्यार्थी को भविष्य में बेहतरी की ओर ले जाएगा। इस नीति में स्कूली कक्षाओं के संचालन की रूपरेखा भी है, जिसमें शुरुआती कक्षा से लेकर नौवीं और नौवीं से 12वीं तक अलग-अलग भूमिकाएं तय हैं। स्कूल शुरू होने से लेकर खत्म होने तक क्लास और भोजन का निश्चित समय तय है। परीक्षा का स्वरूप भी बदला गया है। विद्यार्थी तीसरी, पांचवीं और आठवीं कक्षा में ही परीक्षा देंगे। नियमों के अनुसार साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी। विद्यार्थी उन पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेंगे, जो उन्हें अच्छे से तैयार होंगे। रिपोर्ट कार्ड में अब सिर्फ नंबर नहीं बताएंगे बल्कि बच्चों की रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल डेवलपमेंट को भी आंका जाएगा।

बच्चों के कौशल विकास पर विशेष जोर होगा, जिससे उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। व्यावसायिक और जीवन कौशल विकास के लिए बनी नीतियां युवाओं को व्यावसायिक क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से निपटना सिखाएंगी। इससे उन्हें अपनी क्षमता का पता लगेगा। अपनी कमजोरियों को पहचान कर सुधारने का भी मौका मिलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों के लिए भी अहम है। समयसारिणी से लेकर असाइनमेंट और परिणाम तक सब तय किया गया है। शिक्षकों के पास नए उपकरण और तकनीक रहेगी, जो काम को आसान और व्यवस्थित बनाएगी। शिक्षण में सुधाार के लिए आंगनबाड़ी से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक एक समान ड्यूटी की बात है। तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर है। इससे पढ़ाने और सिखाने में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए वह आसान होगी। उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलू को सशक्त बनाएगी।

डिजिटल माध्यमों की अहम भूमिका

• **उत्कर्ष कुमार**

अभी तक कक्षा में शिक्षा का मतलब किताबें पढ़ना, शिक्षकों का चीजें समझाने के लिए ब्लैकबोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों के लिए नोट्स लिखना आदि इन्हीं चीजों तक सीमित था। नई नीति में ऑनलाइन और अन्य डिजिटल प्रणाली के इस्तेमाल को महत्व दिया जा रहा है। विद्यार्थियों के सीखने के लिए यह प्रभावी साबित हो रहा है क्योंकि ऑडियो-वीडियो सुविधा विद्यार्थियों के मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाती है। यह 21वीं सदी में वैश्विक शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है। भारत जैसे देश में डिजिटल शिक्षा जरूरी हो जाती है, जहां भौगोलिक और आर्थिक सीमाएं कई विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान जब सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद थीं तब डिजिटल शिक्षा एकमात्र विकल्प बनकर उभरी। आज पीपीटी, वीडियो प्रेजेंटेशन्स, ऑनलाइन कक्षाएं, ई-लर्निंग, ऑनलाइन प्रशिक्षण और अन्य डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल को महत्व दिया जा रहा है।

ऑनलाइन के जरिए बच्चे निजी तौर पर चीजें सीख सकते हैं। डिजिटल साक्षरता के जरिए विद्यार्थी अपने आसपास की दुनिया से बातचीत करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। कई ऑनलाइन प्रतियोगिताएं होती हैं। विद्यार्थी उनमें भाग लेकर काफी कुछ सीख सकते हैं। डिजिटल शिक्षा के कई फायदे होते हैं, जैसे मोटर स्किल्स, निर्णय क्षमता, विजुअल लर्निंग, सांस्कृतिक जागरूकता, बेहतर शैक्षिक गुणवत्ता सहित नई चीजों की खोज शामिल है। ये सारी चीजें शिक्षा को इंटरेक्टिव बनाती हैं। इंटरनेट प्रोग्राम सीखते समय विद्यार्थी डिजिटल विश्व को अच्छी तरह समझकर कुछ नया कर पाते हैं। कभी-कभी इंटरनेट का उपयोग नुकसानदायक भी होता है इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें इंटरनेट के फायदे और नुकसान के बारे में बताएं। आज विद्यार्थी जो सीखना चाहते है, उससे संबंधित सामग्री का स्रोत, वीडियो, पॉडकास्ट और प्रेजेंटेशन इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। सीखना बुनियादी तौर से एक सामाजिक गतिविधि है। बच्चों को ऑनलाइन नेटवर्क से रोकने के बजाय उन्हें सुरक्षा के साथ सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

अगर हम डिजिटल लर्निंग चाहते हैं तो स्कूलों और शिक्षकों को इंटरनेट संसाधनों के साथ तैयार करना जरूरी है। इस नीति में प्रौद्योगिकी की चुनौतियों को स्वीकार किया गया है। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के नुकसान को कम करते हुए इसके लाभ उठाने पर बल दिया गया हैं। बताया गया है कि शिक्षकों को प्रभावशाली ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा में प्रशिक्षित करने के लिए उचित प्रशिक्षण देकर उनका व्यावसायिक उन्नयन करना होगा। इससे वह पारम्परिक शिक्षा के साथ ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के अच्छे शिक्षक बन सकेंगे। कोरोना ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिए दो तरफा ऑडियो-वीडियो इंटरफेस जैसे उपकरण की आवश्यकता हैं। इस नीति के तहत मौजूदा जनसंचार माध्यम-टेलीविजन, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग टेलीकास्ट और प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। विद्यार्थियों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जहां तक संभव हो शिक्षकों और विद्यार्थियों को डिजिटल सामग्री उनकी सीखने की भाषा में उपलब्ध हो। वर्चुअल लैब बनाने के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। शिक्षकों को शिक्षार्थी केंद्रित अध्यापन में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

21वीं सदी के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मूल्यांकन के नए तरीकों का अध्ययन किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा व शिक्षण को बढ़ावा देने के साथ परंपरागत सीखने के महत्व को स्वीकार किया जाएगा। मानकों को पूरा करना ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा पर शोध हो रहे हैं। एनटीटीएफ सहित अन्य निकाय ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा शिक्षण के लिए सामग्री प्रौद्योगिकी और शिक्षाशास्त्र के मानक स्थापित करेंगे। यह मानक राज्य बोर्ड, स्कूल, उच्चतर शिक्षण संस्थानों की ओर से ई-लर्निंग के लिए दिशा निर्देश तैयार करने में मदद करेंगे। अनेक मंचों से शिक्षकों और विद्यार्थियों की सहायता के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। डिजिटल शिक्षा पर प्रगति नामक निर्देश जारी किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान विद्यार्थियों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना था। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा पर राज्य सरकारों की पहल ने विद्यार्थियों को घर बैठे डिजिटल शिक्षा की सुविधा प्रदान की है। इनमें से कुछ हैं-सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट राजस्थान, प्रोजेक्ट होम क्लासेस जम्मू, पढ़ाई तोहार द्वार-छत्तीसगढ़, उन्नयन पहल बिहार, मिशन बुनियाद दिल्ली, केरल का अपना शैक्षिक टीवी चैनल काइट विक्टर्स, ई-स्कॉलर पोर्टल और शिक्षकों के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम-मेघालय, यूपी हॉयर एजुकेशन डिजिटल लाइब्रेरी, शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं।

कुछ राज्य सरकारों ने विद्यार्थियों को टैबलेट, डीवीडी और पेन ड्राइव वितरण जैसी सुविधा उपलब्ध कराई हैं। कई राज्य विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देते हुए विशिष्ट कक्षाएं संचालित की हैं। इस तरह ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा का दायरा बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थियों से जुड़ने के लिए गूगल मीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम का प्रयोग किया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान नई शिक्षा नीति के तहत घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित कराई गई। शिक्षा ऑफलाइन माध्यम से मिश्रित माध्यम की ओर बढ़ रही है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में सभी हितधारकों को यह प्रयास करना होगा कि गुणवत्तापरक शिक्षा की पहुंच से कोई भी विद्यार्थी अछूता न रहे।

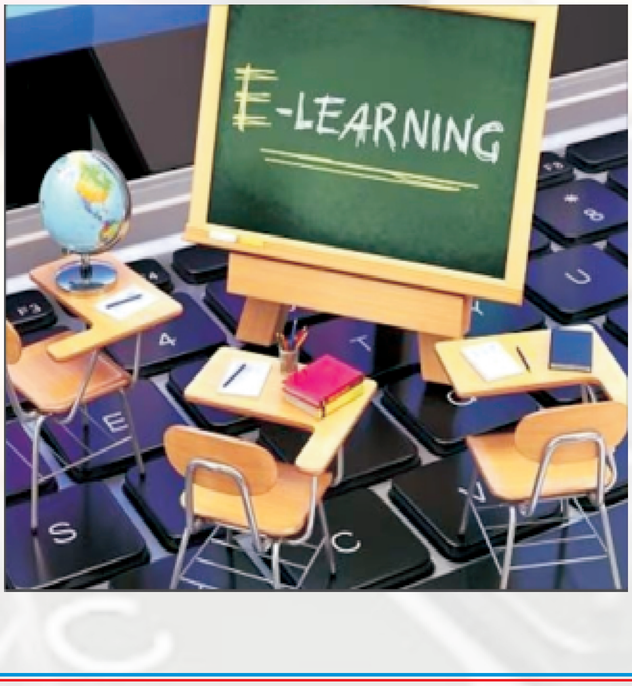

व्यावसायिक दक्षता और उद्यमिता को बढ़ावा

● योगेश प्रताप यादव

केन्द्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को लागू किया, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना है। यह नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेती है और 34 वर्षों के बाद शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने का प्रयास करती है। इस नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यापक बदलाव किए गए हैं, जिससे भारत का सर्वांगीण विकास हो सके।

विशेष रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई नीति का प्रभाव बहुआयामी है। यह न केवल शिक्षण पद्धति में बदलाव लाती है बल्कि शिक्षण संस्थानों की संरचना, पाठ्यक्रम, अनुसंधान, नियामक तंत्र, डिजिटल शिक्षा, बहु विषयक शिक्षा प्रणाली, स्वायत्तता और वैश्विक सहयोग को भी नया रूप देती है। हालांकि, इस नीति में कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ गंभीर चुनौतियां और कमियां भी मौजूद हैं। हमें इन्हें सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत है।

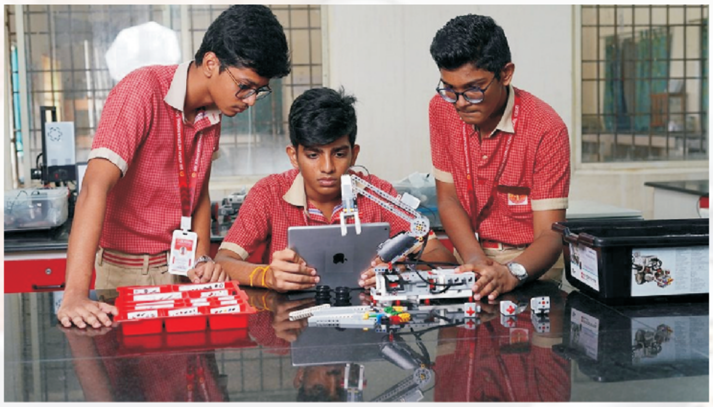

बहुविषयक शिक्षा और मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम : इस नीति में बहु विषयक शिक्षा और मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम की परिकल्पना है। देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों का अध्ययन करने की सुविधा मिलेगी। इसमें तीन वर्ष में पूर्ण होने वाली स्नातक डिग्री को चार वर्ष के लिए कर दिया गया है। चार वर्षीय स्नातक डिग्री में विभिन्न विषयों को चुनने की छूट दी जाएगी। विद्यार्थी किसी भी स्तर पर कोर्स छोड़ सकते हैं। उन्हें उस समय तक अर्जित क्रेडिट के आधार पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान की जाएगी। एक वर्ष बाद सर्टिफिकेट, दो वर्ष बाद डिप्लोमा, तीन वर्ष बाद बैचलर डिग्री और चार वर्ष बाद रिसर्च के साथ स्नातक की डिग्री दी जाएगी। विद्यार्थियों को मेजर और माइनर विषय चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की गई है, जिससे विद्यार्थी अपने अर्जित क्रेडिट को स्टोर करके बाद में उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकेंगे। रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव कर सकेंगे। रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों को एक ही विषय तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा।

भारत में इस तरह की व्यवस्था को लागू और संचालित करना कठिन है। इसके पीछे कई तरह के तर्क हैं, जैसे भारत में अभी बहु विषयक शिक्षा की मजबूत आधारशिला नहीं बनी है। अधिकांश विश्वविद्यालय पारंपरिक पाठ्यक्रमों से ही संचालित हो रहे हैं। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम से विद्यार्थियों के लिए कॅरियर प्लानिंग जटिल हो सकती है। भविष्य में यह भी संभव है कि छोटे प्रमाणपत्रों (एक, दो या तीन वर्ष) को पूर्ण डिग्री जितना महत्व न दिया जाए।

उच्च शिक्षा में स्वायत्तता : उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षण प्रधान संस्थान, अनुसंधान प्रधान विश्वविद्यालय और स्नातक महाविद्यालयों में बांटा गया है। सभी महाविद्यालयों को संवेदनशील स्वायत्तता देने की बात की गई है। निजी और सरकारी संस्थानों में गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नए विश्वविद्यालय और बहु विषयक संस्थान खुलेंगे, जिससे उच्च शिक्षा का विस्तार होगा।

यहां जिस प्रकार स्वायत्तता प्रदान की जाने की बात की गई है उससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उनका प्रभाव बढ़

सकता है। कई संस्थान स्वायत्तता का लाभ उठाकर फीस बढ़ा सकते हैं, जिससे उच्च शिक्षा गरीब विद्यार्थियों की पहुंच से बाहर हो सकती है। छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित महाविद्यालय बंद हो सकते हैं। सभी महाविद्यालयों को स्वायत्तता मिलने के बाद उन्हें स्वयं संसाधन जुटाने होंगे, जिससे ग्रामीण और छोटे महाविद्यालयों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

नियामक ढांचे में बदलाव : इसके तहत यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन जैसी संस्थाओं को समाप्त कर एक एकल नियामक निकाय हायर एजूकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएगी। हायर एजूकेशन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित कोई विशेष मॉडल नहीं तैयार किया गया है। बुनियादी चीजों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि हायर एजूकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में चार स्वतंत्र निकाय होंगे। वैसे यह स्पष्ट नहीं है कि वे परस्पर किस प्रकार आपस में समन्वय स्थापित करेंगे। इसका एक सकारात्मक पक्ष है कि संस्थानों में गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ेगी। हायर एजूकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत स्वायत्तता बढ़ने से निजी विवि और महाविद्यालयों को मनमानी करने की अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है। एकल नियामक निकाय के चलते सरकार का शिक्षा नीति पर नियंत्रण बढ़ सकता है, जिससे संस्थानों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

शोध और नवाचार : नीति अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना करने की बात करती है, जिससे भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और पेटेंट की संख्या बढ़ेगी। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। नए स्टार्टअप और उद्यमिता को बल मिलेगा।

डिजिटल शिक्षा का महत्व और डिजिटल डिवाइड : शिक्षा नीति डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देती है, जिससे विद्यार्थियों को कहीं से भी पढ़ाई करने की सुविधा मिल सके। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना होगी। इससे उच्च शिक्षा सुलभ और सस्ती होगी। समझने वाली बात यह है कि वर्तमान समय में भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की पहुंच सीमित है। ऑनलाइन शिक्षा गरीब और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए चुनौती भरी हो सकती है। कोरोना महामारी के दौरान देखा गया कि अनेक शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियों में प्रशिक्षित नहीं हैं। उनका प्रशिक्षण आवश्यक है।

विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश : इसमें 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने की अनुमति की बात कही गई है। इससे भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा अपने देश में ही मिलेगी। साथ ही विदेशी निवेश और वैश्विक शोध सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनेगी। ऐसा होने से भारतीय संस्थानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।

व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाना : इस नीति में 2030 तक सभी विद्यार्थियों को कम से कम एक व्यावसायिक कौशल सिखाने का लक्ष्य रखा गया है। स्नातक डिग्री के साथ विद्यार्थी व्यावसायिक दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। भारत में व्यावसायिक शिक्षा को कम प्रतिष्ठित माना जाता है। जब तक इस मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा तब तक इसके प्रभावी होने की संभावना कम है। वैसे इस नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए संसाधनों, बुनियादी ढांचे, शिक्षकों के प्रशिक्षण और डिजिटल विभाजन को कम करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। यदि सरकार और शैक्षणिक संस्थान मिलकर इसे प्रभावी ढंग से लागू करते हैं तो यह नीति भारत को वैश्विक स्तर पर प्रभावशील बनाने में अहम भूमिका निभाने के साथ विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और अवसर प्रदान कर सकती है।

व्यावसायिक शिक्षा से आत्मनिर्भर बनेगा भारत

• **शाम्भवी**

हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर खड़ा है। भारतीय बाजार अधिक प्रगाढ़ होते जा रहे हैं और नए-नए व्यवसायों की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे आधारभूत इकाई बन रही है व्यावसायिक शिक्षा।

भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, जो शैक्षणिक सुधार की दिशा में बेहतरीन कदम है। इसे देश और समाज के आर्थिक भविष्य को भी सुदृढ़ करने का अच्छा प्रयास कहा जा रहा है। नीति के जरिए पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को अहम स्थान दिया गया है, जो विद्यार्थियों को कुशल उद्यमी बनने की दिशा में एक प्रयास है। भारत में परंपरागत प्रणाली के तहत शिक्षा को ज्ञान से जोड़ा जाता था। नई नीति के बाद शिक्षा को रोजगार और आर्थिक सुदृढ़ता के कारक के रूप में भी देखा जा रहा है। विद्यार्थियों को महज किताबी ज्ञान तक न सीमित रखते हुए उन्हें व्यावहारिक अनुभव और तकनीकी ज्ञान भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें वास्तविक जीवन में मदद मिलेगी। वह नौकरी करने के साथ किसी व्यवसाय का सृजन करने, नेतृत्व करने और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के काबिल हो सकेंगे।

वैसे भारत की आजादी के कुछ वर्षों बाद ही व्यावसायिक शिक्षा की महत्ता को समझा गया था। सबसे पहले इसकी पहल भारत के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-1966) ने की थी। हालांकि आयोग के सुझाव को स्वीकृति 1985 में मिली। उस समय लक्ष्य रखा गया कि 1986 से 1995 तक प्लस टू कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इसके बाद 2005 में बाजार के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए व्यावसायिक शिक्षा को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में स्थान दिया गया। सरकारी प्रयास के पश्चात भी व्यावसायिक शिक्षा की ओर भारत में बहुत अधिक रुझान नहीं देखा गया, लेकिन बीते दशक में आई संचार क्रांति और डिजिटल मीडिया ने युवाओं को व्यवसाय के प्रति जागरूक करने का काम किया। फलस्वरूप भारत में नए उद्यमियों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली। नई शिक्षा नीति में केंद्र सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा है ताकि भारत में व्यवसाय के प्रति रुचि रखने वाले विद्यार्थी आगे चलकर अपने व्यवसाय की स्थापना कर सकें। साथ ही व्यवस्थित तरीके से उसका संचालन भी कर सकें।

आज के दौर में व्यवसाय किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन तक सीमित नहीं रहा। जैसे-जैसे बाजार सघन होता जा रहा, प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही। ऐसे दौर में किसी व्यवसाय को चलाने के लिए उद्यमी का दूरदर्शी होना काफी नहीं है बल्कि इसके साथ उसे बाजार की समझ, अपने उत्पादों और सेवाओं की ब्रांडिंग और उपभोक्ता वर्ग की मांगों को भी समझने की आवश्यकता होती है। इन सभी बारीकियों को नए व्यवसायी समझ सकें, इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है। व्यावसायिक शिक्षा के साथ सामान्य शिक्षा का समन्वय किया जाए ताकि विद्यार्थी चयनित व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित होने के साथ उस क्षेत्र को बड़े दृष्टिकोण से देख सकें। नए क्षेत्र का विस्तार कर सकें। इससे विद्यार्थी कई दिशाओं में अपने कौशल का उपयोग कर सकेंगे।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा को महत्व मिलने से युवाओं के भविष्य में सुधार आएगा। इसका प्रभाव समाज और राष्ट्र के समग्र विकास पर देखने को मिलेगा। छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर अच्छे कर्मचारी बनेंगे। अपने क्षेत्र में नवाचार करने की क्षमता भी विकसित करेंगे। कौशल के माध्यम से राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को गति देने का कार्य करेंगे। सरल भाषा में कहा जाए तो नई शिक्षा नीति 2020 की यह पहल भारतीय अर्थव्यवस्था को उस शिखर तक ले जाएगी, जहां युवा पीढ़ी न केवल शिक्षित होगी बल्कि अपने कौशल और तकनीकी ज्ञान के कारण रोजगार के नए क्षेत्र का सृजन कर सकेगी।

विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान

• **दिव्या**

शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है, जिसके चलते समाज प्रगति की ओर बढ़ता है। किसी देश के विकसित होने में उसकी साक्षरता दर उतनी ही मायने रखती है, जितना किसी मकान को बनाने के लिए उसकी नींव। एक सशक्त शिक्षा प्रणाली देश में विकास का आधार होती है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी। यह नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बदलकर एक आधुनिक और समावेशी शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए बनाई गई है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, व्यावहारिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बनाना है। कई मायनों में यह नीति पुरानी शिक्षा नीति से अलग और तकनीकी है। इस नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई महती सुधार किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। उनकी रचनात्मकता, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सकेगा। शिक्षा किसी भी समाज के विकास और उन्नति का आधार होती है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। उनकी रुचि के अनुसार अध्ययन का अवसर देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में मध्यवर्गीय लोगों की जनसंख्या अधिक है। यह लोग कहीं न कहीं आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बच्चों को स्कूली शिक्षा तक मुहैया नहीं करा पाते। इसकी वजह से भारत में कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इसके चलते एनईपी ने शिक्षा में वित्तीय सहायता के विभिन्न माध्यमों को मजबूत किया है।

नीति में वित्तीय सहायता के कई प्रावधान किए गए हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह नीति शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, तकनीक सक्षम और कौशल आधारित बनाएगी। स्कूली शिक्षा में बदलाव, मल्टी डिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, परीक्षाओं में सुधार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, उच्च शिक्षा में बदलाव, शोध और नवाचार पर जोर दिया है। अगर बात वित्तीय सहायता की हो तो नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों की आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए कई योजनाएं और वित्तीय सहायता के प्रावधान किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता शामिल है। यह छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में अवसर देने के लिए है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के प्रावधान शामिल हैं। इससे अलग उच्च शिक्षा को बढ़ावा और उसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए एजूकेशन लोन से लोगों को अवगत कराया गया है।

इस शिक्षा नीति में तकनीक पर फोकस है। इसमें हर विषय के विद्यार्थियों के लिए अनुसंधान कार्यों के प्रावधान हैं। इसी को ध्यान में रखकर फेलोशिप और अनुसंधान अनुदान, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एनआरएफ) के तहत शोधार्थियों को फेलोशिप प्रदान की जाएगी। अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अनुसंधान अनुदान दिए जाएंगे।

नई शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में अनेक बदलाव लेकर आई है। यह बदलाव इतनी जल्दी शिक्षा में शामिल करना मुश्किल है। उच्च शिक्षा की बात की जाए तो स्नातक डिग्री पहले तीन वर्ष की थी, जिसे अब चार वर्ष का कर दिया गया है। लोगों को यह बदलाव समझने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी नया बदलाव जमीनी स्तर पर लागू करना थोड़ा मुश्किल होता है। लोगों को लग रहा है कि इन बदलाव में डिजिटल शिक्षा और अनुसंधान कार्य को बढ़ा दिया गया है। इसमें वित्तीय खर्च भी बढ़ गया है। इस योजना में जो वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही हैं, उनसे लोग अवगत नहीं हैं। कोई योजना तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक वह सीधे तौर पर उपयोगकर्ताओं तक न पहुंचे।

शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण पर जोर

• **खुशी वशिष्ठ**

लंबे समय बाद आई नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव बताई जा रही है। यह पाठ्यक्रम के साथ शिक्षा के मूलभूत ढांचे को बदलने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। इसका एक अहम पहलू शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती में सुधार, जो देश के भविष्य को आकार देने में प्रमुख है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है। शिक्षकों को इस नींव को मजबूत बनाने वाले शिल्पकार के रूप में देखा जाता है। उनकी गुणवत्ता विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है। उनके समग्र विकास और सामाजिक मूल्यों को आकार देती है। इसलिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और भर्ती में सुधार करना आवश्यक है।

इस नीति से पहले भारत में शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती प्रणाली एक तरह की चुनौतियों का सामना कर रही थी। साल 1986 की नीति में भी शिक्षकों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2009 की रिपोर्ट में भी शिक्षकों के प्रशिक्षण और भर्ती में कमियों को उजागर किया गया था। कहा गया था कि 'शिक्षकों का प्रशिक्षण अपर्याप्त है और उन्हें आधुनिक शिक्षण विधियों से अवगत कराने की आवश्यकता है।' यह रिपोर्ट उस समय की शिक्षा प्रणाली में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) हर साल ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति का आकलन करती है। वह शिक्षकों की गुणवत्ता में कमी को दिखाती है। 2018 की एएसईआर के अनुसार 'ग्रामीण क्षेत्रों में कई शिक्षक बुनियादी गणित और भाषा कौशल में भी सक्षम नहीं हैं।' इससे स्पष्ट है कि शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती में सुधार की आवश्यकता है। नई नीति शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली का केंद्र मानती है। उसमें कहा गया है कि 'शिक्षक शिक्षा प्रणाली की नींव हैं।' इसमें प्रशिक्षण और भर्ती के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं-चार वर्षीय एकीकृत बी. एड. कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। इनकी संरचना इस प्रकार तैयार की है कि इनमें विषय ज्ञान के साथ-साथ अध्यापन विधियों और प्रायोगिक प्रशिक्षण पर समान रूप से ध्यान दिया जाएगा। यह बदलाव शिक्षकों को कक्षाओं में प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए बेहतर रूप से तैयार करेगा। पहले बी.एड. पाठ्यक्रम अधिकतर सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित होते थे, जिससे शिक्षकों को कक्षा परिस्थितियों में काम करने का उचित अनुभव नहीं मिल पाता था। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर साल 50 घंटे के प्रशिक्षण का प्रावधान है। नवीन व्यवस्था शिक्षकों को अध्यापन की नवीनतम विधियों और तकनीकी उपकरणों से अवगत कराएगी।

डिजिटल शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए नीति में शिक्षकों को डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया है। आज के डिजिटल युग में जरूरी है कि शिक्षक तकनीकी रूप से कुशल हों। विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से शिक्षित कर सकें। स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण का प्रस्ताव विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अहम है। इसके लागू होने से शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। यह नीति शिक्षकों को अधिक सक्षम और पेशेवर बनाएगी, जिससे विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में सुधार होगा। वैसे नई नीति को लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती जमीनी स्तर पर लागू करने की है। इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और कुशल प्रशासकों की आवश्यकता होगी। शिक्षकों को नए प्रशिक्षण के लिए तैयार करना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दस्तावेज में कहा गया है कि 'एनईपी के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता है।' इसे सफल बनाने के लिए शिक्षकों, प्रशासकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को मिलकर काम करना होगा।

शिक्षा के भविष्य की परिकल्पना

• **प्रियंका**

स्वामी विवेकानंद ने कहा था–'हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो। मन की शक्ति बढ़े। बुद्धि का विस्तार हो और जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके।' विवेकानंद की इस बात के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान अर्जित करना नहीं बल्कि मनुष्य के समग्र विकास में सहायक बनना है। यह केवल परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं हो सकती। इसका उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, आत्मनिर्भरता और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। भारतीय परंपरा में शिक्षा का यही स्वरूप देखने को मिलता है।

प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली नैतिक मूल्यों और व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित थी। 'नास्ति विद्या समं चक्षु, नास्ति सत्य समं तप:।' मतलब विद्या से बढ़कर कोई नेत्र नहीं, सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। गुरुकुल प्रणाली केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी। वह जीवन के हर पहलू की शिक्षा देती थी। शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविका अर्जन नहीं, बल्कि समाज का मार्गदर्शन करना था। गुरुकुलों में अध्ययन शास्त्रों तक सीमित नहीं था। कला, शिल्प, आयुर्वेद, खगोलशास्त्र, युद्धकला और प्रशासनिक कौशल भी सिखाए जाते थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में भारत के साथ चीन, कोरिया, तिब्बत सहित अनेक देशों के विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। औपनिवेशिक काल में मैकाले की शिक्षा नीति ने इस प्रणाली को ध्वस्त कर दिया। इसका उद्देश्य भारतीयों को नौकरशाही व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित करना था, न कि स्वतंत्र चिंतन और नवाचार को बढ़ावा देना। स्वामी विवेकानंद ने औपनिवेशिक शिक्षा की इस कमी को रेखांकित किया–'बचपन से ही हमें नकारात्मक शिक्षा दी जाती रही है। हमें बस यही सिखाया जाता रहा है कि हम कुछ नहीं हैं। हमें कभी यह नहीं समझाया जाता कि हमारे देश में कभी महान लोग पैदा हुए हैं।' ब्रिटिश शिक्षा नीति ने भारतीयों को स्वयं की महान परंपरा से काटकर नौकरी पाने तक सीमित कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भी यह प्रणाली काफी हद तक जारी रही। उसमें अंक आधारित शिक्षा, रटंत प्रणाली और परीक्षा केन्द्रित अध्ययन को महत्व दिया जाता रहा। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में नवाचार, रचनात्मकता और व्यावहारिक ज्ञान अहम हो गए हैं। शिक्षा प्रणाली को इस दिशा में ले जाना आवश्यक है, जहां विद्यार्थी केवल नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि समाधान खोजने वाले बनें।

श्री अरबिंदो ने शिक्षा को आत्म विकास का माध्यम मानते हुए कहा–'सच्चा ज्ञान सोचने से नहीं मिलता। ज्ञान वही है जो

आप हैं। ज्ञान वही है जो आप बनते हैं।' उनके अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना नहीं बल्कि मानव के अंतर्निहित सामर्थ्य को जागृत करना है। आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना ही शिक्षा का भविष्य है।

औद्योगिक क्रांति 4.0 और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और रोबोटिक्स जैसी तकनीक के बढ़ते प्रभाव से कई पारंपरिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं। ऐसे में शिक्षा प्रणाली को इस तरह विकसित करना होगा कि युवा रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें। व्यावसायिक और उद्यमिता आधारित पाठ्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज स्तर पर इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाने चाहिए। 'स्वतंत्र कला' और 'बहुविषयक शिक्षा' को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी नवाचार कर सकें।

इस नीति का उद्देश्य रटंत प्रणाली समाप्त कर समझ आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। विद्यार्थियों को विषय चुनने की स्वतंत्रता देना है। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ना है। शोध, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली लागू करने का प्रावधान है। इसमें विद्यार्थी विभिन्न संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के तहत डिजिटल संसाधनों का विकास किया जा रहा है। तकनीक के इस युग में शिक्षा को डिजिटल माध्यम से जोड़ना आवश्यक है। अनेक ऑनलाइन प्लेटफार्म शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों की कमी के कारण सभी विद्यार्थियों तक डिजिटल शिक्षा समान रूप से नहीं पहुंच पा रही है। इसके समाधान के लिए सरकार को मुफ्त डिजिटल उपकरण और स्थानीय भाषा में डिजिटल सामग्री विकसित करने की दिशा में काम करना होगा। आज डिग्री प्राप्त करना सफलता की गारंटी नहीं है। इसके बजाय व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल भारत, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कृषि, फार्मा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप, बायोटेक रिसर्च और फार्मास्युटिकल इनोवेशन को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

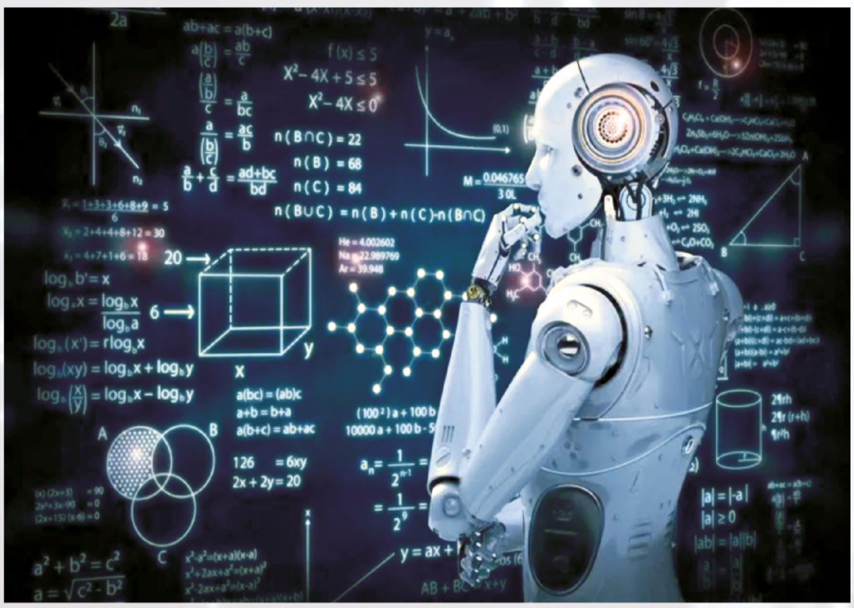

आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों पर कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण समाज में भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता और नैतिक गिरावट देखी जा रही है। विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिकता का संचार करना आवश्यक है। संस्कृत, भारतीय दर्शन और नैतिक शिक्षा को शिक्षा प्रणाली में पुनः शामिल किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। भारत को ग्लोबल एजूकेशन हब बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से भारत में कैम्पस स्थापित करने की अनुमति दी गई है, जिससे भारतीय विद्यार्थी वैश्विक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था-'असली शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाती है।' शिक्षा आत्मविकास का साधन होनी चाहिए, जो व्यक्ति को अपनी संभावनाओं को पहचानने और उन्हें साकार करने में मदद करे। भविष्य की शिक्षा को नवाचार, आत्मनिर्भरता और व्यावहारिकता पर केंद्रित करना होगा।

एनईपी के मॉडल पर काम कर रहा आरएलएसी

• **आयुष प्रजापति**

दिल्ली विश्वविद्यालय का राम लाल आनंद महाविद्यालय कई वर्षों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में प्रयासरत है। महाविद्यालय की ओर से किए जा रहे प्रयास विद्यार्थियों के सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। इसके लिए महाविद्यालय विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट एवं वैल्यू एडेड कोर्स प्रदान कर रहा है। विगत पांच वर्षों में कुल 3759 हजार विद्यार्थी इस कोर्स से विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित हुए हैं। उन्हें दो भाषाओं में दक्ष बनाने की दिशा में अनुवाद या अनुवाद जैसे ऐड ऑन कोर्स शुरू किए गए हैं। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधाान के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी की खोज जैसे 11 कोर्स सत्र 2023-24 से चलाए जा रहे हैं। महाविद्यालय चार से छह सप्ताह की ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रदान करता है। इसमें विद्यार्थी अतिरिक्त शोध परियोजनाओं में शोध करना सीखते हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 56 विद्यार्थियों ने ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्राप्त की। 2023 में 50 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया तो 2023-24 में 18 विद्यार्थियों को इंटर्नशिप दी गई। इसके लिए महाविद्यालय ने एक लाख नौ हजार रुपए का बजट स्वीकृत किया है।

राम लाल आनंद महाविद्यालय कुछ वर्षों से कई ऐड-ऑन, स्किल डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स के जरिए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा प्रदान कर रहा है। इन कोर्सों के तहत मीडिया प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना की गई है। यह सेंटर आधुनिक कैमरा, माइक्रोफोन, मिक्सर और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ ऑडियो-वीडियो प्रसारण करने में सक्षम है। इसी के साथ पत्रकारिता के विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन कोर्सों में डाटा विश्लेषण, साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेन्सिक, चाइना एवं जापान भाषा में डिप्लोमा कोर्स, रेडियो प्रोग्रामिंग एण्ड प्रोडक्शन, मीडिया प्रोडक्शन, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, रचनात्मक लेखन आदि शामिल है।

महाविद्यालय मानव मूल्य, जीवन कौशल और नैतिकता के दृष्टिगत भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ 10 से 13 सामान्य वैकल्पिक (जीई), छह शैक्षणिक क्षमता संवर्धान पाठ्यक्रम (एईसी), 14 से 18 कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी) और मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (वीएसी) के 13 से 23 प्रश्नपत्र संचालित कर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में यह अकेला ऐसा महाविद्यालय है जिसने बहुविषयी शिक्षा में इतने प्रश्नपत्रों का प्रावधान किया है। भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) की शुरुआत अंत:विषयी अनुसंधान को बढ़ावा देने, आगे के शोध और सामाजिक अनुप्रयोगों को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए की गई है। यह संस्था कला, साहित्य, कृषि, विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, प्रबंधन, अर्थशास्त्र सहित अन्य क्षेत्रों में देश की समृद्ध विरासत और भारतीय ज्ञान परंपरा को फैलाने में

सक्रियता से लगी है। इसके अलावा संस्कृत, पाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए भाषा प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है।

नई शिक्षा नीति को देखते हुए महाविद्यालय ने एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत की है। इन केन्द्रों में जिनॉमिक्स, जीआईएस व रिमोट सेंसिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनएचएमएस के तहत हिमालय क्षेत्र अनुसंधान केन्द्र, ई-सेल और विकसित भारत आईडिएशन सेंटर शामिल है। इसकी सहायता से विद्यार्थी और शिक्षक प्रशिक्षण ले सकते हैं। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का हिस्सा बन सकते हैं।

महाविद्यालय के अनुसंधान और आईपीआर सेल विद्यार्थियों को अकादमिक शोध में अनुभव प्रदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह बेहतर उपलब्धि प्राप्त करने वालों को विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से शिक्षकों को दिए गए बाह्य शोध परियोजनाओं में शोध प्रशिक्षु के रूप में काम करने का अवसर प्रदान करता है। कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों के बावजूद पहले चरण की परियोजनाओं के समापन के बाद महाविद्यालय अनुसंधान अनुदान योजना (सीआरजी) के तहत शोध प्रस्तावों को स्वीकार कर रहा है। पहले चरण में 50 से अधिक विद्यार्थियों ने शोध परियोजनाओं के संचालन पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। परिणामस्वरूप पांच अंतर्राष्ट्रीय शोध लेख, 11 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रस्तुतियां और सात शोध प्रबंध पर काम हुआ। यह पहल नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। इसके अनुसार विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के चौथे वर्ष में शोध परियोजनाओं के माध्यम से शोध करना जरूरी है। शैक्षिक सत्र् 2023-24 में विद्यार्थी और शिक्षकों के नौ प्रोजेक्ट के लिए सात लाख 45 हजार रुपए दिए गए।

इस दिशा में महाविद्यालय, विद्यार्थियों और शिक्षकों को चयनित शोध प्रस्तावों के लिए अनुसंधान अनुदान प्रदान करता है। इसके अलावा जो शिक्षक या विद्यार्थी कुछ नया खोजने में लगे हैं, इसके लिए पेटेन्ट फाइल की सुविधा मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। अब तक पांच पेटेंट फाइल स्वीकृत हो चुकी हैं। एनईपी के तहत जो विद्यार्थी कौशल संवर्धन कोर्स (एसईसी) की जगह प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उनके लिए महाविद्यालय कम्युनिटी आउटरीच की शुरुआत की है। साथ ही विद्यार्थियों के क्रेडिट सिस्टम को संरक्षित करने के लिए एकेडमिक बैंक क्रेडिट (एबीसी आईडी) पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

महाविद्यालय विद्यार्थियों को केवल पढ़ने और लिखने के कौशल तक ही सीमित नहीं है। वह फिल्म और वृत्तचित्र स्क्रीनिंग, थिएटर और नाटक पर चर्चा, अनुवाद सिद्धांत और अभ्यास, डबिंग ज्ञान, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, एफडीपी, सम्मेलन, अकादमिक सेमिनार आदि के माध्यम से रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को एक विशाल मंच प्रदान करता है। ऐसे में राम लाल आनंद महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में निरंतर प्रयासरत है।

"इस पत्र (केसरी) में अन्य समाचार पत्रों के समान समाचार, राजनीतिक घटनाएं, व्यापारिक समाचार आदि विषय तो आएंगे ही, किन्तु साथ ही साथ इसमें लोगों की दशा पर निबन्ध, नवीन ग्रंथों की समालोचना आदि का भी समावेश किया जाएगा।... तीन विषयों पर यानी देश-स्थिति, मातृभाषा के ग्रंथ तथा विलायत की राजनीतिक हलचल के सम्बन्ध में जितना पर्याप्त विवेचन होना चाहिए, उतना किसी भी समाचार पत्र में नहीं होता है, ऐसा कहने में कोई हानि नहीं, अतः इस भारी न्यूनता को दूर करने का हमने निश्चय किया है। इस समाचार-पत्र में प्रत्येक विषय का जो विवेचन किया जाएगा, वह बिना पक्षपात-बुद्धि के तथा हमें जो ठीक जंचेगा, उसके अनुसार ही करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है।"

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

(23 जुलाई 1856–1 अगस्त 1920)

उद्देश्य पत्र 'केसरी'